आयोग की संस्तुतियों पर
राज्य सरकार द्वारा
की गयी कार्यवाही

3. आयोग की संस्तुतियों पर राज्य सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही

आयोग द्वारा राज्य सरकार को ऐसी संस्तुतियां की जाती हैं जिनके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के विभिन्न प्राविधानों को सकारात्मक एवं व्यापक रूप में क्रियान्वित किये जाने में सफलता प्राप्त हो सकती है. ऐसी संस्तुतियां सूचना आयोग द्वारा अपने वार्षिक प्रतिवेदनों के माध्यम से की जाती हैं.

इसी क्रम में आयोग द्वारा निम्नलिखित 3 संस्तुतियां वर्ष 2011—12 के वार्षिक प्रतिवेदन के माध्यम से राज्य सरकार को की गयी थीं :

संस्तुति : 1

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4(1)(ख) के अंतर्गत लोक प्राधिकारियों द्वारा तैयार किये गये 17 मैनुअलों को प्रतिवर्ष अद्यतन किये जाने तथा अधिनियम की धारा 4(2), 4(3) तथा 4(4) के अंतर्गत मैनुअलों तक जनसामान्य की पहुंच को सहज बनाने के उद्देश्य से उनको प्रकाशित करने तथा इंटरनैट के माध्यम से प्रसारित करने का दायित्व भी लोक प्राधिकारियों का है.

आयोग द्वारा लोक प्राधिकारियों द्वारा तैयार किये गये मैनुअलों के वार्षिक अद्यावधिकरण तथा उनके प्रकाशन एवं इंटरनैट पर अपलोडिंग की कार्यवाही को वार्षिक रूप से माह अप्रैल से जून के मध्य पूर्ण करने के संबंध में प्रदेश के समस्त लोक प्राधिकारियों को निर्देश जारी किये हैं.

आयोग की संस्तुति है कि इस संबंध में शासन स्तर से भी समस्त लोक प्राधिकारियों को आयोग के निर्देशानुसार समयबद्ध कार्यवाही पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया जाये जिससे लोक प्राधिकारियों के 17 मैनुअल अद्यावधिक हो सकें तथा जनसामान्य को इनके माध्यम से आवश्यक सूचनायें सीधे प्राप्त हो सकें. इस विषय पर लोक प्राधिकारियों के स्तर से की गयी कार्यवाही की समीक्षा शासन स्तर से भी की जानी चाहिए.

संस्तुति : 2

सचिवालय स्तर पर अनुभाग अधिकारियों के स्थान पर अनु सचिव व उप सचिव के स्थान पर अपर सचिव को प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी नामित कर दिया गया है, यद्यपि पूर्व में अपर सचिव लोक सूचना अधिकारी एवम् सचिव/प्रमुख सचिव प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी नामित थे, लेकिन राजस्व विभाग में विशेषकर तहसीलदार एवं जिलाधिकारी स्तर पर, प्रशासनिक अधिकारियों को लोक सूचना अधिकारी नामित किया गया है.

आयोग की यह संस्तुति है कि प्रशासनिक अधिकारी से बडे स्तर के अधिकारी को लोक सूचना अधिकारी बनाया जाना चाहिये. इसके अतिरिक्त जनपद मुख्यालयों में कुछ जनपदों में अपर जिला मजिस्ट्रेट तो कुछ जनपदों में स्वयं जिलाधिकारी अपीलीय अधिकारी हैं, जिस कारण जनसामान्य के स्तर पर असंमजस एवं भ्रांति रहती है. प्रदेश के समस्त जनपदों में जनपद मुख्यालय स्तर पर इस संबंध में एकरूपता होनी आवश्यक है.

संस्तुति : 3

आयोग के समक्ष, विशेषकर विद्युत विभाग व राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा स्टाफ की कमी का कथन किया जाता है. इन विभागों से संबंधित द्वितीय अपीलों तथा शिकायतों की सुनवाई के दौरान उपजिलाधिकारी, तहसीलदार, जिलाधिकारी, आयुक्त, अपर आयुक्त, राजस्व आयुक्त आदि के पेशकार प्रतिनिधि के रूप में आयोग में उपस्थित रहते हैं, जिससे सम्बन्धित न्यायालयों का कार्य प्रभावित होता है व जनसामान्य को भी कठिनाई होती है. पटवारी, लेखपाल को स्टाफ की कमी के कारण तहसीलदार/नायब तहसीलदार यहॉ तक कि उप जिलाधिकारी को भी संबंधित जिलाधिकारी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम से संबंधित कार्य हेतु नामित कर दिया जाता है, जिस कारण वह अपना मूल कार्य भी नहीं कर पाते है.

आयोग की संस्तुति है कि सूचना का अधिकार अधिनियम तथा विभागीय दायित्वों की समय से पूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए ऐसे समस्त विभागों में कार्मिकों की कमी को दूर किया जाना आवश्यक है.

आयोग की संस्तुतियों पर राज्य सरकार के स्तर से कार्यवाही

उक्त के अतिरिक्त आयोग की अन्य संस्तुतियों पर राज्य सरकार के स्तर से कार्यवाही अभी अपेक्षित है.

उत्तराखण्ड सूचना आयोग द्वारा अपने पूर्व के वार्षिक प्रतिवेदनों में निम्नलिखित प्रकार से संस्तुतियां की गयी हैं :

वर्ष	संस्तुतियों की संख्या	कृत कार्यवाही
2005 — 06	03	03
2006 — 07	20	12
2007 — 08	08	04
2008 — 09	09	04
2009 — 10	04	04
2010 — 11	05	05

उत्तराखण्ड सूचना आयोग द्वारा वर्ष 2009–10 के वार्षिक प्रतिवेदन के माध्यम से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के क्रियान्वयन में आ रही व्यावहारिक कठिनाईयों के निवारण के लिये आयोग की संस्तुतियों के सापेक्ष शासन द्वारा कृत कार्यवाहियों का विवरण बिन्दुवार निम्नलिखित है :–

क्र0स0	आयोग की संस्तुतियां	शासन द्वारा कृत कार्यवाही
01	सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 2(अ)(iii) के अंतर्गत सामग्रियों के नमून लेने के विषय में शासनादेश के माध्यम से अथवा नियम बना कर नमूने लेने की प्रक्रिया वास्तविक लागत, फीस एवं अन्य व्यय के भुगतान की व्यवस्था का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किया जाना चाहिए जिससे लोक प्राधिकारियों तथा जन सामान्य को इस संबंध में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया एवं देय शुल्क का ज्ञान हो सके।	सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(अ)(iii) के अंतर्गत सामग्रियों के नमून लेने की प्रक्रिया वास्तविक लागत फीस एवं अन्य व्यय के भुगतान की व्यवस्था का निर्धारण किये जाने हेतु शासन द्वारा सूचना का अधिकार (फीस एवं लागत विनियमन) (संशोधन) नियमावली, 2007 अधिसूचना संख्याः– 35 सू0अ0 (XXXI)(13)/2007 दिनांक 31 जुलाई 2007 निर्गत की गयी है तथा उत्तराखण्ड सूचना का अधिकार नियमावली 2013 के नियम 6(क) में सूचना हेतु शुल्क निर्धारण का प्राविधान कर दिया गया है।
02	आयोग स्तर से अधिनियम की धारा 25(5) के अंतर्गत राज्य सरकार को समय–समय पर प्रेषित संस्तुतियों एवं सुझावों पर नोडल विभाग द्वारा परीक्षण करते हुये आयोग को अवगत कराया जाना चाहिए, विगत वर्षों में आयोग को यह आभास हुआ है कि नोडल विभाग के स्तर पर आयोग द्वारा प्रेषित संदर्भो, सुझावों तथा संस्तुतियों पर परीक्षणोपरान्त कार्यवाही हेतु विद्यमान व्यवस्था अपर्याप्त है, अतः नोडल विभाग के स्तर पर सूचना का अधिकार अधिनियम के विषयों पर प्रभावी कार्यवाही करने हेतु एक सुदृढ़ प्रकोष्ठ की स्थापना की जानी आवश्यक है।	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आयोग स्तर से राज्य सरकार को समय–समय पर प्रेषित संस्तुतियों एवं सुझावों पर कार्यवाही हेतु विद्यमान व्यवस्था को क्या अपर्याप्त है, का कोई कारण उल्लिखित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में पृथक से सुदृढ़ प्रकोष्ठ की स्थापना किये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। यदि भविष्य में कोई विशिष्ट आवश्यकता प्रतीत होती है तब मा0 आयोग की इस संस्तुति का समादर करते हुये यथा समय समुचित निर्णय लिया जायेगा।
03	विभागाध्यक्ष स्तर पर मण्डलायुक्त तथा जिलाधिकारियों द्वारा अपने अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारियों एवं विभागीय अपीलीय अधिकारियों को सूचना अनुरोधों एवं प्रथम अपीलों के निस्तारण की प्रक्रिया की विभागीय बैठकों के माध्यम से समीक्षा कर उन्हें यथोचित मार्गदर्शन प्रदान किया जाना चाहिए जिससे सूचना अनुरोधों तथा प्रथम अपीलों के निस्तारण में गुणवत्ता परिलक्षित हो तथा आवेदकों का द्वितीय अपील करने की आवश्यकता में भी कमी आये।	विभागाध्यक्ष स्तर पर मण्डलायुक्त तथा जिलाधिकारियों द्वारा अपने अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारियों एवं विभागीय अपीलीय अधिकारियों का सूचना के अनुरोधों एवं प्रथम अपीलों के निस्तारण की प्रक्रिया के संबंध में यथोचित मार्गदर्शन प्रदान किये जाने हेतु शासनादेश संख्याः 239/XXXI(13) G/2010 दिनांक 23.03.2010 निर्गत किया गया है। साथ ही अधिनियम के लागू होने के पश्चात् लोक सूचना अधिकारियों के स्तर से आवेदकों को सूचना की पहुंच सुनिश्चित कराये जाने हेतु कुमाऊं मण्डल के अन्तर्गत सभी जनपदों में चिन्हित विभागों के लोक सूचना अधिकारियों का प्रशिक्षण पूर्ण किया जा चुका है तथा गढ़वाल मण्डल के अन्तर्गत जनपद देहरादून एवं हरिद्वार में चिन्हित विभागों के लोक सूचना अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है तथा शेष जनपदों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाने की कार्यवाही गतिमान है।

04	ग्रामीण क्षेत्रों में अधिनियम का उपयोग बढ़ाने के उद्देश्य से इन क्षेत्रों में अधिनियम के व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु राज्य सरकार के स्तर पर शीघ्र एक कार्य योजना बनायी जानी चाहिए तथा अधिनियम के उपयोग के संबंध में विकास खण्ड एवं ग्राम स्तर पर व्यापक प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए.	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रचार–प्रसार एवं महत्तम उपयोग सुनिश्चित कराये जाने हेतु विकास खण्ड एवं ग्रामीण स्तर पर भी अधिनियम का व्यापक प्रचार–प्रसार करने हेतु पंचायती राज विभाग की सहायता से ग्राम पंचायतों में वाल पेंटिंग (Wall Painting) करायी जा रही है ।

उत्तराखण्ड सूचना आयोग द्वारा वर्ष 2010–11 के वार्षिक प्रतिवेदन के माध्यम से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के क्रियान्वयन में आ रही व्यावहारिक कठिनाईयों के निवारण के लिये आयोग की संस्तुतियों के सापेक्ष शासन द्वारा कृत कार्यवाहियों का विवरण बिन्दुवार निम्नलिखित है :–

क्र0स0	आयोग की संस्तुतियां	शासन द्वारा कृत कार्यवाही
01	वर्तमान में आयोग का मुख्यालय देहरादून में स्थापित है जिसमें पूरे प्रदेश में प्राप्त होने वाली द्वितीय अपीलों एवं शिकायतों की सुनवाई तथा निस्तारण मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा किया जाता है, प्रदेश के पर्वतीय तथा दुर्गम एवं दूरस्थ क्षेत्रों में अपनी अपीलों तथा शिकायतों की पैरवी करने तथा सुनवाई में उपस्थित होने के लिए लोगों को काफी समय एवं धन व्यय करना पड़ता है तथा दूरस्थ अंचलों से देहरादून तक आने जाने की कठिनाई का भी सामना करना पड़ता है। आयोग के दो क्षेत्रीय कार्यालयों का खोलने के संबंध में दिनांक 14.03.2006 को तत्कालीन मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा की गयी घोषणा के अनुरूप यदि कुमाऊं मण्डल में अल्मोड़ा तथा गढ़वाल मण्डल में श्रीनगर में आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय खोले जायें तो प्रदेश के दूरस्थ एवं दुर्गम अंचलों की जनता को अत्यंत सुविधा होगी तथा उनके निकटस्थ क्षेत्रीय कार्यालय में उनकी द्वितीय अपीलों एवं शिकायतों की सुनवाई तथा निस्तारण किया जा सकेगा। इसके संबंध में उत्तराखण्ड सूचना आयोग द्वारा आयोग के उपरोक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से दिनांक 22.02.2007 तथा अग्रेत्तर अन्य तिथियों को आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय खोले जाने एवं पद स्वीकृत किये जाने के संबंध में प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया था परन्तु इस पर राज्य सरकार द्वारा अभी तक अनुमोदन एवं स्वीकृति प्रदान नहीं की गयी है। आयोग की संस्तुति है कि आयोग के उपरोक्त प्रस्ताव पर शासन स्तर पर शीघ्र निर्णय ले कर कार्यवाही की जाये।	सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रभावी क्रियान्वयन एवं प्रदेश के अधिकांश भूभाग के पर्वतीय एवं दुर्गम होने के कारण आयोग के दो क्षेत्रीय कार्यालयों कुमाऊ मण्डल में अल्मोडा एवं गढवाल मण्डल में श्रीनगर में खोले जाने का प्रस्ताव औचित्यपूर्ण न पाये जाने के कारण निरस्त कर दिया गया है। उक्त प्रस्ताव पर लिये गये निर्णय से मा0 आयोग को शासकीय पत्रांक–1316 XXXI(13)G/2012 दिनांक 05 जून 2012 द्वारा सूचित कर दिया गया है।

02	सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 5(1) के अन्तर्गत प्रत्येक लोक प्राधिकारी कार्यालय/इकाई द्वारा अपने यहां प्राप्त होने वाले सूचना अनुरोध पत्रों के नियमानुसार निस्तारण के लिए लोक सूचना अधिकारियों को नामित किया भी गया है आयोग में योजित द्वितीय अपीलों तथा शिकायतों की सुनवाई के समय यह तथ्य परिलक्षित होता है कि सचिवालय के स्तर पर कई विभागों में समीक्षा अधिकारियों को भी लोक सूचना अधिकारियों के रूप में नामित किया जा रहा है जबकि अनुरोधकर्ता को वांछित सूचना उपलब्ध कराये जाने के लिए समीक्षा अधिकारियों को संबंधित अनुभाग अधिकारियों/अनु सचिव के स्तर से सूचना प्राप्त करनी होती है तथा अनुमोदन लेना होता है इससे जहां एक ओर परिहार्य समय व श्रम व्यर्थ होता है वहीं दूसरी ओर अनुरोधकर्ता को नियमानुसार समयान्तर्गत सूचना उपलब्ध करा पाना भी संभव नहीं हो पाता है। आयोग की यह संस्तुति है कि सचिवालय स्तर पर न्यूनतम अनु सचिव स्तर के अधिकारियों को ही लोक सूचना अधिकारियों के रूप में नामित किया जाये जिससे प्रार्थियों को नियमानुसार तथा समय से सूचना उपलब्ध करायी जा सके।	सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 5(1) के अन्तर्गत लोक प्राधिकारी कार्यालय यथा सचिवालय स्तर पर न्यूनतम अनुसचिव स्तर के अधिकारियों को ही लोक सूचना अधिकारी के रूप में नामित किये जाने हेतु मुख्य सचिव महोदय के स्तर से शासनादेश संख्या–1629/XXXI(13) G/2012 54(सू0अ0)/20 12 दिनांक 11 जून 2012 के माध्यम से निर्देश निर्गत किये जा चुके है।
03	आयोग की संस्तुति है कि उत्तराखण्ड सूचना आयोग द्वारा आयोग के स्वीकृत पदों को नियमित रूप से भरे जाने के सम्बन्ध में आयोग की जो सेवा नियमावली तैयार कर शासन को प्रेषित की गयी है उसका शासन स्तर पर अविलम्ब परीक्षण कर उसे स्वीकृत किया जाये जिसके उपरांत आयोग के स्वीकृत पदों को नियमित रूप से भरे जाने की कार्यवाही पूर्ण की जा सके, इससे आयोग के कार्यों को सुचारू रूप से पूर्ण किया जाना संभव को सके।	उत्तराखण्ड सूचना आयोग के स्वीकृत पदों को नियमित रूप से भरे जाने के संबंध में विभाग द्वारा उत्तराखण्ड सूचना आयोग अधिकारी कर्मचारी सेवा नियमवाली का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही गतिमान है।

04	विभिन्न विभागों के प्रकरणों व विशेषकर राजस्व विभाग की सुनवाई के मध्य यह तथ्य संज्ञान में आया है कि राजस्व विभाग मे अभिलेखों यहां तक कि विभिन्न बन्दोबस्तों, खतौनियों, नक्शों खसरों आदि का कई वर्षों से विधिवत रख–रखाव नहीं किया जा रहा है। कई प्रकरणों में देहरादून में राजस्व विभाग के तहसील स्तर के अधिकारियों द्वारा निर्णीत दाखिल खारिज के प्रकरणों में पत्रावलियों उपलब्ध नहीं है। यहां तक कि पिछले 2–3 वर्षों की उपलब्धता के बारे में तक स्पष्ट रूप से नहीं बताया जाता है। जाति प्रमाण पत्र अस्थाई निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र आदि अभिलेखों के रख–रखाव के संबंध में स्पष्ट नियमावली बने होने पर भी अभिलेख उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, राजस्व विभाग में उक्त अभिलेखों के सम्बन्ध में अब 2012 में एक शासनादेश निर्गत किया है। राजस्व व न्याय विभाग अकेला ऐसा विभाग है जिसकी अभिलेखों के रख रखाव व विनिष्टीकरण के सम्बन्ध में स्पष्ट नियमावलियां बनी हुई हैं। लेकिन न्याय विभाग में अभिलेख तो व्यवस्थित होते पर राजस्व विभाग के अभिलेख व पत्रावलियों के रख रखाव आदि के सम्बन्ध में अधिकतर जनपदों के कर्मचारियों को प्रशिक्षण ही प्राप्त नहीं है। राजस्व विभाग के अधिकारियों को न्याय विभाग के अधिकारियों से सहयोग प्राप्त कर अभिलेखों में विभिन्न स्तर न्यायालय अभिलेखागार आदि के सम्बन्ध में प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये।	सरकारी अभिलेखों के समुचित रख–रखाव, अभिरक्षा, अभिलेखन एवं विनिष्टीकरण की कार्यवाही किये जाने हेतु विभिन्न विभागों के कार्मिकों का प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु कार्यालय निरीक्षणालय के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कराये जाने हेतु शासनादेश संख्या–2860/XXXI(13) G/2013–374(सा0)/2013 दिनांक 23.09.2013 द्वारा संबंधित को निर्देशित कर दिया गया है।
05	आयोग द्वारा विनिष्टीकरण नियमावली, 1917 के अनुरूप विभिन्न लोक प्राधिकारी स्तर पर अभिलेखों के विनिष्टीकरण के सम्बन्ध में पृथक–पृथक रूप से नियमावलियां बनाये जाने के निर्देश पूर्व में दिये गये थे लेकिन अभी तक अधिकतर लोक प्राधिकारियों द्वारा विभागों की विनिष्टीकरण नियमावलियां नहीं बनाई गयी है। आयोग का सुझाव है कि पूर्व में दिये गये निर्देश के क्रम में सम्बन्धित लोक प्राधिकारियों द्वारा अपने–अपने विभागों की विनिष्टीकरण नियमावली बनाई जानी चाहिये।	शासन द्वारा सरकारी कार्यालयों में अभिलेखों के रख–रखाव निर्दान करने की प्रक्रिया एवं उन विषयों की सूची एवं उन्हें रखने की समयावधिक का विवरण सहित जो सामान्यता सभी सरकारी कार्यालयों में व्यवहृत होते हैं, के संबंध में सभी संबंधित विभागों को शासनादेश संख्या–244/XXXI(13) G/2005 दिनांक 23 अप्रैल, 2005 द्वारा दिशा निर्देश के अनुरूपक कार्यवाही करते हुये शासनादेश संख्या– 2223/XXXI(13) G/2013–37 (सा0)/2013 दिनांक 15 जुलाई 2013 द्वारा सभी विभागों को अपने विभागों की पृथक से नियमावली तैयार करने हेतु निर्देशित किया जा चुका है।

राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित
उत्तराखण्ड सूचना का अधिकार नियमावली,
2013

4. राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सूचना का अधिकार नियमावली, 2013

उत्तराखण्ड राज्य सरकार द्वारा माह जनवरी, 2013 में एक नई सूचना का अधिकार नियमवाली बनाई गई. इस नई नियमावली के आयोग को प्राप्त होने पर मुख्य सूचना आयुक्त की अध्यक्षता में पूर्ण आयोग की बैठक आहूत की गयी तथा नियमावली के विभिन्न प्राविधानों पर चर्चा की गयी.

चर्चा के दौरान नियमावली के कई प्राविधानों को सूचना का अधिकार अधिनियम के मूल व्यवस्था के प्रतिकूल पाया गया. इस सम्बन्ध में आयोग द्वारा शासन को विस्तृत टिप्पणियां/आपत्तियां प्रेषित की गयी तथा यह अनुरोध किया गया कि आयोग की टिप्पणियों/आपत्तियों पर परीक्षण एवं आवश्यक परामर्श कराते हुये संशोधित नियमावली तैयार की जाये.

इसी क्रम में सचिव, सामान्य प्रशासन के साथ अनौपचारिक वार्ता भी हुई तथा नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव तैयार कर पुनः शासन को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया.

दिनांक 28/06/2013 को राज्य सरकार द्वारा 'उत्तराखण्ड सूचना का अधिकार नियमवाली, 2013' अधिसूचित कर दी गयी. इस नियमावली में आयोग के कुछ संशोधनों को समाहित भी किया गया है. परन्तु फिर भी इस नई नियमावली के कतिपय प्राविधानों पर आयोग सहमत नहीं है. इस सम्बन्ध में आयोग द्वारा पुनः अपनी आपत्तियों से शासन को अवगत कराते हुये यथास्थान संशोधन करने के लिए अनुरोध किया गया है.

राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित 'उत्तराखण्ड सूचना का अधिकार नियमवाली, 2013' तथा इस विषय पर आयोग स्तर से हुये पत्राचार को इस अध्याय में संकलित किया जा रहा है.

सूचना का अधिकार

उत्तराखण्ड शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
संख्या– 125 / xxxi(13)/G-65(सू0अ0) /2012
देहरादूनः दिनांक 08 जनवरी, 2013

अधिसूचना संख्या–118 / xxxi(13)G-65(सू0अ0) / 2012 दिनांक 07 जनवरी, 2013 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड सूचना का अधिकार नियमावली, 2012 की प्रति संलग्न कर निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है:–

1. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल ,उत्तराखण्ड।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. आयुक्त, गढ़वाल / कुमाऊँ मण्डल।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
8. सचिव, उत्ताराखण्ड सूचना आयोग, देहरादून।
8. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र सचिवालय परिसर।
9. गार्ड फाईल।

संलग्नकः–यथोपरि।

आज्ञा से,
8.1.2013
(सुरेन्द्र सिंह रावत)
सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
सामान्य प्रशासन अनुभाग
संख्याः 118/XXXI (13)G-65 (सू0अ0)/2012
देहरादूनः दिनांक 07 जनवरी, 2013

अधिसूचना
प्रकीर्ण

राज्यपाल, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 22 वर्ष 2005) की धारा 27 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों का अधिक्रमण करते हुए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तराखण्ड सूचना का अधिकार नियमावली, 2012

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भः

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड सूचना का अधिकार नियमावली, 2012 है।
   (2) यह राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

परिभाषाएंः

2. जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में:-

(क) "अधिनियम" से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 अभिप्रेत है,
(ख) "धारा" से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा अभिप्रेत है,
(ग) "आयोग" से उत्तराखण्ड राज्य सूचना आयोग अभिप्रेत है,
(घ) "राज्य सरकार" से उत्तराखण्ड राज्य सरकार अभिप्रेत है,
(ड) "बी0पी0एल0" से गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले ऐसे व्यक्ति, जिनकी वार्षिक आय रू0 12,000/-(रू0 बारह हजार मात्र) से कम हो, अभिप्रेत है,
(च) "प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी" से सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन योजित प्रथम अपील के निस्तारण हेतु राज्य सरकार द्वारा धारा 19(1) के अधीन नामित अधिकारी से अभिप्रेत है,
(छ) 'सूचना' से किसी इलैक्ट्रानिक रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ई-मेल, मत, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, संविदा, रिपोर्ट, कागज पत्र, नमूने, मॉडल, आंकड़े सम्बन्धी सामग्री और किसी निजी निकाय से सम्बन्धित ऐसी सूचना सहित, जिस तक तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी, लोक

प्राधिकारी की पहुंच हो सकती है, किसी रूप में कोई सामग्री, अभिप्रेत है।

नोटः

(एक) मत, सलाह अथवा विचार जो किसी अभिलेख, दस्तावेज या किसी साम्रगी के रूप में नहीं है, वह 'सूचना' नहीं है।

(दो) किसी कार्य को जैसे किया गया उसे वैसे क्यों किया गया, अन्य किस रूप में किया जा सकता है, जैसे कार्य को किया गया वह उचित है या नहीं आदि विचार या मत सामग्री के रूप में नहीं होने पर 'सूचना' नहीं है।

'अभिलेख' में निम्नलिखित सम्मिलित हैः–

(क) कोई दस्तावेज, पाण्डुलिपि और फाईल,

(ख) किसी दस्तावेज की कोई माइक्रोफिल्म, माइक्रोफिको और प्रतिकृति प्रति,

(ग) ऐसी माइक्रोफिल्म में सन्निविष्ट प्रतिविम्ब या प्रतिविम्बों का पुनरूत्पादन (चाहे व्यक्ति के रूप में हो या न हो); और

(घ) किसी कम्प्यूटर द्वारा या किसी अन्य युक्ति द्वारा उत्पादित कोई अन्य सामग्री।

(ज) 'सूचना का अधिकार' से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन पहुंच योग्य सूचना का, जो किसी लोक प्राधिकारी द्वारा या उसके नियंत्रणाधीन धारित है, अधिकार अभिप्रेत है और जिसमें निम्नलिखित का अधिकार सम्मिलित हैः–

(एक) कृति दस्तावेजों, अभिलेखों का निरीक्षण;

(दो) दस्तावेजों या अभिलेखों की टिप्पणी, उद्धरण या प्रमाणित प्रतिलिपि लेना;

(तीन) सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना;

(चार) डिस्केट, फ्लापी, टेप, वीडियो कैसेट के रूप में या किसी अन्य इलेक्ट्रोनिक रीति में या प्रिंट आउट के माध्यम से सूचना को, जहां ऐसी सूचना किसी कम्प्यूटर या किसी अन्य युक्ति में भण्डारित है, अभिप्राप्त करना।

(झ) उन शब्दों और पदों के, जो इस नियमावली में प्रयुक्त हैं, और परिभाषित नही हैं, किन्तु सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में परिभाषित हैं, के वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम में हैं।

राज्य सरकार द्वारा स्वतः प्रकटन के लिये सूचना विहित करनाः

3. राज्य सरकार समय–सयम पर किसी लोक प्राधिकारी अथवा लोक प्राधिकारियों से स्वतः प्रकटन की जाने वाली सूचना राज्य सरकार के गजट में अधिसूचना प्रकाशित करके विहित कर सकती है। विहित की गयी सूचना का प्रकाशन लोक प्राधिकारी विहित किये जाने के 60 दिन के अन्दर अभिलेख रूप में और इलैक्ट्रोनिक प्ररूप में करेगा। लोक प्राधिकारी विहित सूचना को प्रत्येक वर्ष अद्यावधिक करेगा।

आवेदन की भाषा:

4. सूचना की प्राप्ति हेतु आवेदन हिन्दी भाषा देवनागरी लिपि में अथवा अंग्रेजी में प्रस्तुत किया जायेगा।

सूचना प्राप्त करने की प्रकिया:

5.(क) अधिनियम की धारा 6 की उपधारा(1) के अधीन 'सूचना' प्राप्त किये जाने हेतु लोक प्राधिकारी के लोक सूचना अधिकारी अथवा सहायक लोक सूचना अधिकारी को निर्धारित आवेदन शुल्क के साथ अनुरोध पत्र दिया जायेगा।

(ख) 'सूचना' के लिए ऐसे अनुरोध पत्र, जिसके साथ निर्धारित आवेदन शुल्क की राशि प्रस्तुत नहीं की गयी है, पर विचार नहीं किया जायेगा।

(ग) विभिन्न लोक प्राधिकारियों से उनकी अभिरक्षा में अथवा नियंत्रण में 'सूचना' को प्राप्त करने के लिए समवस्थित लोक प्राधिकारियों के लोक सूचना अधिकारियों अथवा सहायक लोक सूचना अधिकारियों को निर्धारित आवेदन शुल्क के साथ पृथक–पृथक अनुरोध पत्र दिये जायेंगे।

(घ) 'सूचना' के लिए अनुरोध ऐसी सूचना के लिए किया जा सकेगा, जो अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (च) के अधीन 'सूचना' परिभाषित है और लोक प्राधिकारी की अभिरक्षा अथवा नियंत्रण में हैं। सूचना के लिए अनुरोध पत्र द्वारा अधिनियम में परिभाषित 'सूचना' से इतर सूचना यथा प्रश्नों के उत्तर या ऐसी सूचना जिस पर मत स्थिर कर नया निर्णय लेने की आवश्यकता हो, का अनुरोध किये जाने पर लोक सूचना अधिकारी अनुरोधकर्ता को 'सूचना धारित नहीं है' से अवगत करायेगा।

(ड़) 'सूचना' के लिए अनुरोधकर्ता द्वारा एक ही अनुरोध पत्र में एक से अधिक लोक प्राधिकारियों की अभिरक्षा या नियंत्रण की 'सूचना' की मांग किये जाने पर लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपने से सम्बन्धित लोक प्राधिकारी की सूचना अनुरोधकर्ता को उपलब्ध करायी जायेगी। अन्य लोक प्राधिकारी से सम्बन्धित 'सूचना' के लिए अनुरोध पत्र अन्य लोक प्राधिकारी के लोक सूचना अधिकारी को अन्तरित कर दिया जायेगा। एक से अधिक अन्य लोक प्राधिकारी से सम्बन्धित 'सूचना' का अनुरोध की दशा में अनुरोधकर्ता को ऐसी 'सूचना' के लिए सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारियों से पृथक से आवेदन करने के लिए कहा जायेगा।

(च) 'सूचना' के लिए अनुरोधकर्ता द्वारा एक ही अनुरोध पत्र में दो लोक प्राधिकारियों से सम्बन्धित सूचना मांगने पर लोक सूचना अधिकारी अपने लोक प्राधिकारी से सम्बन्धित 'सूचना' यथा प्रकिया

अनुरोधकर्ता को उपलब्ध करायेगा। अन्य लोक प्राधिकारी का स्पष्ट ज्ञान न होने पर अनुरोध पत्र अन्य लोक प्राधिकारी के लोक सूचना अधिकारी को प्रस्तुत करने के लिए अनुरोधकर्ता को सूचित किया जायेगा।

(छ) अनुरोध पत्र में मांगी गयी 'सूचना' का चिन्हीकरण स्पष्ट रूप से न होने की दशा में लोक सूचना अधिकारी अनुरोधकर्ता को लोक प्राधिकारी की प्रकटन योग्य 'सूचना' का निरीक्षण करके अथवा अन्यथा चिन्हीकरण हेतु अनुरोध पत्र प्राप्त होने के 5 दिन के भीतर करेगा। अनुरोधकर्ता द्वारा 'सूचना' का चिन्हीकरण करके लोक सूचना अधिकारी को अवगत कराने पर 'सूचना' यथा प्रक्रिया निर्धारित अवधि के भीतर दी जायेगी। अनुरोधकर्ता द्वारा 'सूचना' के चिन्हीकरण में लगने वाले समय की 'सूचना' दिये जाने की अवधि में गणना नहीं की जायेगी।

(ज) आवेदक द्वारा मांगी गयी 'सूचना' का अनुरोध अस्वीकार करने की दशा में लोक सूचना अधिकारी अनुरोधकर्ता को अनुरोध अस्वीकार के कारण सूचित करेगा। लोक सूचना अधिकारी अनुरोधकर्ता को अनुरोध अस्वीकार करने के विरूद्ध अपील करने की समय अवधि तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी का पदनाम, पता आदि विवरण सूचित करेगा।

(झ) आवेदक द्वारा मांगी गयी सूचना उसी 'प्रारूप' में उपलब्ध करायी जायेगी, जिसमें उसे मांगा गया है जब तक कि उस सूचना को उपलब्ध कराने में लोक प्राधिकारी के संसाधनों को अनुपाती रूप में विचलित न होती हो अथवा आवेदित सूचना के अभिलेख की सुरक्षा या संरक्षण के प्रतिकूल न हो।

<u>सूचना हेतु शुल्कः</u>

6.(क) अधिनियम की धारा 6 की उपधारा(1) के अधीन सूचना हेतु आवेदन पत्र के साथ लोक प्राधिकारी, लोक सूचना अधिकारी या सहायक लोक सूचना अधिकारी के वित्त/लेखा अधिकारी के नाम संदेय रु0 10.00 मात्र का शुल्क उचित रसीद की प्रति, नकद या डिमाण्ड ड्राफ्ट, बैंकर्स चैक, भारतीय पोस्टल ऑर्डर, ट्रेजरी चालान या नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर के माध्यम से संदाय किया जा सकेगा;

परन्तु यह कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को कोई शुल्क अनुरोध पत्र के साथ देय नहीं होगा। इस हेतु आवेदक को बी0पी0एल0 कार्ड की राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाना आवश्यक होगा।

(ख) अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (3) के अधीन सूचना की लागत के रूप में अतिरिक्त शुल्क सूचना दिए जाने हेतु लोक प्राधिकारी के वित्त/लेखा अधिकारी के नाम संदेय निम्नलिखित दरों के अनुरूप शुल्क उचित रसीद के प्रति नकद या डिमाण्ड ड्राफ्ट, बैंकर्स चैक, भारतीय पोस्टल ऑर्डर, ट्रेजरी चालान या नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर के माध्यम से संदाय किया जा सकेगा, अर्थात,

(एक) ए–3 या ए–4 आकार के पृष्ठ(छायाप्रति या तैयार सूचना) हेतु रु0 2.00 (दो रूपये मात्र) प्रति पृष्ठ और इससे बड़े आकार के पृष्ठ हेतु वास्तविक लागत,

(दो) अभिलेखों के निरीक्षण हेतु प्रथम घंटा हेतु कोई शुल्क संदेय नहीं होगा, तदुपरान्त प्रत्येक 15 मिनट अथवा उसके भाग हेतु रु0 5.00 मात्र(पांच रूपये मात्र) का शुल्क संदाय किया जाना होगा,

(तीन) प्रतिरुप एवं नमूनों की वास्तविक लागत का संदाय किया जाना होगा।

(ग) अधिनियम की धारा 7 की उपधारा(5) के अधीन सूचना छपे या इलेक्ट्रानिक रूप में सूचना दिए जाने हेतु लोक प्राधिकारी के वित्त/लेखाधिकारी के नाम देय निम्नलिखित दरों के अनुरूप शुल्क, उचित रसीद के प्रति नकद या डिमाण्ड ड्राफ्ट, बैंकर्स चैक, भारतीय पोस्टल ऑर्डर, ट्रेजरी चालान या नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर के माध्यम से संदाय किया जा सकेगा, अर्थात्

(एक) डिस्केट अथवा फ्लॉपी पर सूचना दिए जाने हेतु रु0 50.00 मात्र (पचास रूपये मात्र) प्रति फ्लापी/डिस्केटः और

(दो) किसी मुद्रित प्रकाशन की दशा में, उसका निर्धारित मूल्य या ऐसे प्रकाशन से उद्धरणों की फोटो प्रति पृष्ठ के लिए रु0 2.00 मात्र(दो रूपये मात्र)।

(घ) बी0पी0एल0 श्रेणी के व्यक्तियों के सूचना अनुरोध पर शुल्क हेतु निम्नलिखित व्यवस्था होगी:–

(एक) यदि आवेदक द्वारा मांगी गयी सूचना उसके (बी0पी0एल0 श्रेणी के) स्वयं से या उसके परिवार से सम्बन्धित हो, तो वह सूचना निःशुल्क उपलब्ध करायी जाएगी।

(दो) यदि सूचना/बी0पी0एल0 श्रेणी के अनुरोधकर्ता या उसके परिवार के सदस्य से भिन्न व्यक्ति से सम्बन्धित हों, और सूचना 50 छाया पृष्ठों (ए–4 साईज के) या तैयार करने में रुपये 100 के व्यय में दी जा सकती है तो वह सूचना निःशुल्क उपलब्ध करायी जाएगी। उसके उपरान्त सशुल्क सूचना उपलब्ध करायी जाएगी। एक लोक प्राधिकारी से

(ख) अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (3) के अधीन सूचना की लागत के रूप में अतिरिक्त शुल्क सूचना दिए जाने हेतु लोक प्राधिकारी के वित्त/लेखा अधिकारी के नाम संदेय निम्नलिखित दरों के अनुरूप शुल्क उचित रसीद के प्रति नकद या डिमाण्ड ड्राफ्ट, बैंकर्स चैक, भारतीय पोस्टल ऑर्डर, ट्रेजरी चालान या नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर के माध्यम से संदाय किया जा सकेगा, अर्थात,

(एक) ए–3 या ए–4 आकार के पृष्ठ(छायाप्रति या तैयार सूचना) हेतु रु0 2.00 (दो रूपये मात्र) प्रति पृष्ठ और इससे बड़े आकार के पृष्ठ हेतु वास्तविक लागत,

(दो) अभिलेखों के निरीक्षण हेतु प्रथम घंटा हेतु कोई शुल्क संदेय नहीं होगा, तदुपरान्त प्रत्येक 15 मिनट अथवा उसके भाग हेतु रु0 5.00 मात्र(पांच रूपये मात्र) का शुल्क संदाय किया जाना होगा,

(तीन) प्रतिरुप एवं नमूनों की वास्तविक लागत का संदाय किया जाना होगा।

(ग) अधिनियम की धारा 7 की उपधारा(5) के अधीन सूचना छपे या इलेक्ट्रानिक रूप में सूचना दिए जाने हेतु लोक प्राधिकारी के वित्त/लेखाधिकारी के नाम देय निम्नलिखित दरों के अनुरूप शुल्क, उचित रसीद के प्रति नकद या डिमाण्ड ड्राफ्ट, बैंकर्स चैक, भारतीय पोस्टल ऑर्डर, ट्रेजरी चालान या नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर के माध्यम से संदाय किया जा सकेगा, अर्थात्

(एक) डिस्केट अथवा फ्लॉपी पर सूचना दिए जाने हेतु रु0 50.00 मात्र (पचास रूपये मात्र) प्रति फ्लापी/डिस्केट: और

(दो) किसी मुद्रित प्रकाशन की दशा में, उसका निर्धारित मूल्य या ऐसे प्रकाशन से उद्धरणों की फोटो प्रति पृष्ठ के लिए रु0 2.00 मात्र(दो रूपये मात्र)।

(घ) बी0पी0एल0 श्रेणी के व्यक्तियों के सूचना अनुरोध पर शुल्क हेतु निम्नलिखित व्यवस्था होगी:–

(एक) यदि आवेदक द्वारा मांगी गयी सूचना उसके (बी0पी0एल0 श्रेणी के) स्वयं से या उसके परिवार से सम्बन्धित हो, तो वह सूचना निःशुल्क उपलब्ध करायी जाएगी।

(दो) यदि सूचना/बी0पी0एल0 श्रेणी के अनुरोधकर्ता या उसके परिवार के सदस्य से भिन्न व्यक्ति से सम्बन्धित हो, और सूचना 50 छाया पृष्ठों (ए–4 साईज के) या तैयार करने में रुपये 100 के व्यय में दी जा सकती है तो वह सूचना निःशुल्क उपलब्ध करायी जाएगी। उसके उपरान्त सशुल्क सूचना उपलब्ध करायी जाएगी। एक लोक प्राधिकारी से

प्राप्त अंश का अनुरोधकर्ता को न निरीक्षण कराया जायेगा और न ही निर्गत किया जायेगा।

विभागीय अपील अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील:

8.(क) अधिनियम की धारा 19 के अधीन लोक सूचना अधिकारी के निस्तारण के विरूद्ध अपील किये जाने पर अपीलकर्ता को अपील के साथ अनुरोध पत्र, लोक सूचना अधिकारी द्वारा अनुरोध पत्र के निस्तारण का पत्र, की प्रति संलग्न करनी होगी। अपील पत्र में अपील के आधार स्पष्ट रूप से लिखे जायेगें। यह कहना पर्याप्त नहीं होगा कि अपीलकर्ता लोक सूचना अधिकारी के उत्तर से सन्तुष्ट नहीं है।

(ख) प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी द्वारा अनुरोधकर्ता द्वारा दाखिल अपील पर आवश्यकतानुसार लोक सूचना अधिकारी से पक्ष प्राप्त किया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर अपीलकर्ता को उपस्थित होने के लिए निर्देश दिये जा सकेंगे और अपीलकर्ता से लिखित पक्ष प्राप्त किया जा सकेगा।

(ग) प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रथम अपील का निस्तारण अधिनियम में उल्लिखित अवधि में किया जायेगा। अपील के निस्तारण के आदेश की प्रति अपीलकर्ता और लोक सूचना अधिकारी को सुलभ करायी जायेगी।

(घ) प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी अपील पर विचार करते समय यह समाधान करेंगे कि अनुरोधकर्ता द्वारा मांगी गयी 'सूचना' प्रकटन की जा सकती है अथवा नहीं। प्रकटन की जा सकने वाली 'सूचना' अनुरोधकर्ता को निर्धारित समय के अन्दर निर्गत की गयी है अथवा नहीं। मांगी गयी वह 'सूचना' जिसका लोक सूचना अधिकारी ने प्रकटन करना अस्वीकार किया है, वह 'सूचना' अधिनियम की धारा 8 के प्राविधानों के अन्तर्गत छूट से प्राप्त है। वह 'सूचना' जिसका प्रकटन धारा 8 के अन्तर्गत छूट प्राप्त नहीं है और अपील तक निर्गत नहीं की गयी है, उस सूचना को लोक सूचना अधिकारी अनुरोधकर्ता को यथाशीघ्र निर्गत की जायेगी।

(ड.) आवेदक द्वारा मांगी गयी 'सूचना' का चिन्हीकरण स्पष्ट न होने के कारण 'सूचना' न दिये जाने की स्थिति प्रकट होने पर प्रथम अपीलीय अधिकारी आवेदक को लोक प्राधिकारी के सम्बन्धित अभिलेखों का निर्धारित शुल्क प्राप्त करके निरीक्षण कराकर आवेदक द्वारा चिन्हित 'सूचना' को निर्धारित शुल्क भुगतान करके दिये जाने के आदेश देगा।

(च) प्रथम अपीलीय अधिकारी इसकी पड़ताल अपील सुनते हुए करेगा कि लोक सूचना अधिकारी ने व्यक्तिगत सूचना प्रकटन करने में अधिनियम की धारा 8(ज) के प्रावधानों के अनुरूप व्यक्तिगत

'सूचना' का प्रकटन करने से मना किया है। लोक सूचना अधिकारी ने ऐसी व्यक्तिगत सूचना जो लोक क्रिया कलाप व हित से सम्बन्ध रखता है या जिससे व्यक्ति की एकान्तता पर अनावश्यक अतिक्रमण नहीं है अथवा जिसका प्रकटन विस्तृत लोक हित में न्यायोचित है उसे प्रकटन से रोका नहीं है।

(छ) प्रथम अपीलीय अधिकारी अपील के निर्णय में उपरिलिखित उपनियमों में अंकित बिन्दुओं की विवेचना अंकित करेगा तथा जिस 'सूचना' का प्रकटन निषिद्ध नहीं है उस सूचना का प्रकटन करने के लिये लोक सूचना अधिकारी को निर्देश निर्गत करेगा।

(ज) प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी लोक सूचना अधिकारी को ऐसी सूचना निर्गत करने के लिए बाध्य नहीं करेगा, जो अधिनियम के अन्तर्गत 'सूचना' नहीं है अथवा प्रकटन से छूट प्राप्त है।

<u>सूचना आयोग में द्वितीय अपील</u> :

9.(क) अधिनियम की धारा 19(1) के अधीन प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी के अपील निस्तारण के विरूद्व द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग के समक्ष किये जाने पर अपीलकर्ता को द्वितीय अपील पत्र के साथ अनुरोधकर्ता का अनुरोध पत्र,लोक सूचना अधिकारी के अनुरोध पत्र के निस्तारण का पत्र, प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी के द्वारा अपील के निस्तारण आदेश की प्रति संलग्न की जायेगी। द्वितीय अपील का आधार स्पष्ट रूप से अंकित किया जाना आवश्यक होगा।

(ख) अपीलकर्ता द्वारा द्वितीय अपील करने पर आयोग द्वारा निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायी जायेगी:–

(एक) द्वितीय अपील में संबंधित लोक सूचना अधिकारी व प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी को उत्तरदाता बनाया जायेगा। अन्य किसी अधिकारी/प्राधिकारी को द्वितीय अपील में उत्तरदाता नहीं बनाया जायेगा।

(दो) द्वितीय अपील पत्र में अपीलकर्ता द्वारा उल्लिखित आधारों पर लोक सूचना अधिकारी तथा प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी को लिखित रूप से अपना प्रतिवाद प्रस्तुत करने का अवसर दिया जायेगा।

(तीन) द्वितीय अपील में आयोग इसकी जांच करेगा कि लोक सूचना अधिकारी ने अनुरोधकर्ता को आवेदित 'सूचना' अधिनियम के प्राविधानों के अनुरूप सुलभ करायी है अथवा नहीं। आयोग द्वितीय अपील में यह भी जांच करेगा कि प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी ने अधिनियम के प्राविधानों के अनुरूप अनुरोधकर्ता को सूचना निर्गत करने के लोक सूचना अधिकारी को निर्देश दिया या नहीं। लोक

सूचना अधिकारी ने 'सूचना' निर्धारित अवधि में निर्गत करी है या नहीं। अनुरोधकर्ता को प्रकटन योग्य सूचना प्रकटन न किये जाने से कोई क्षति हुई या नहीं। अपीलकर्ता को जो क्षति हुई है, उसका मूल्यांकन क्या है। आयोग उक्त बिन्दुओं पर आवश्यक पड़ताल करके द्वितीय अपील का आदेश पारित करेगा।

(चार) द्वितीय अपील में अनुरोधकर्ता द्वारा मांगी गयी 'सूचना' के निर्धारित समय के अन्दर प्रकटन का मामला ही देखा जायेगा। द्वितीय अपील में किसी जांच का निर्देश नहीं दिया जायेगा।

(पांच) द्वितीय अपील के आदेश में सूचना आयोग यथा आवश्यकता अधिनियम की धारा 19(8) के अनुरूप सूचना के प्रकटन और पहुँच बनाये जाने के लिए निर्देश दे सकेगा।

(छ) द्वितीय अपील के निस्तारण में लोक सूचना अधिकारी तथा प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी को सुनवायी में उपस्थित होने का निर्देश निर्गत नहीं किया जायेगा। अपरिहार्य परिस्थितियों में कारण अभिलिखित करके लोक सूचना अधिकारी अथवा प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी को द्वितीय अपील में उपस्थित होने के निर्देश दिये जा सकेंगे।

(सात) आयोग द्वारा द्वितीय अपील की सुनवायी के समय यह समाधान होने पर कि लोक सूचना अधिकारी पर अधिनियम की धारा 20 के अन्तर्गत शास्ति आरोपित की जानी आवश्यक है, लोक सूचना अधिकारी को कारण बताओ नोटिस निर्गत कर कारण बताने का अवसर दिया जायेगा। लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपना पक्ष रखने अथवा निर्धारित अवधि व्यतीत होने पर आयोग, लोक सूचना अधिकारी पर आवश्यक होने पर शास्ति आरोपित करेगा। लोक सूचना अधिकारी के विरूद्ध उक्त कार्यवाही द्वितीय अपील की कार्यवाही से पृथक रूप से की जायेगी।

(ग) (एक) तीसरे पक्ष की सूचना प्रकटन के मामले में लोक सूचना अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आयोग में अपील में अपील पत्र के साथ लोक सूचना अधिकारी का आदेश तीसरे पक्ष की मांगी गयी सूचना, तीसरे पक्ष द्वारा दिया गया कथन संलग्न किया जायेगा। अपील पत्र में अपील का आधार स्पष्ट रूप से अंकित किया जायेगा।

(दो) उक्त उपखण्ड(एक) के अनुसार प्रस्तुत अपील में तीसरे पक्ष को आयोग अपना पक्ष रखने का अवसर देगा।

(तीन) अपील के निस्तारण के लिये लोक सूचना अधिकारी तथा तीसरे पक्ष को आयोग द्वारा अपील में अपना पक्ष लिखित रूप में प्रस्तुत करने का अवसर दिया जायेगा।

(घ) आयोग द्वारा निर्गत नोटिस का तामिल निम्नवत् किया जा सकेगा:–

(एक) स्वयं पक्षकार के माध्यम से;
(दो) तामिलकर्ता के माध्यम से दस्ती;
(तीन) साधारण डाक द्वारा; या
(चार) कार्यालयाध्यक्ष या विभागाध्यक्ष के माध्यम से।
(पॉच) पावती के साथ पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट से।

किन्तु अग्रतर प्रतिबंध यह है कि खण्ड(पाँच) के अनुसार तामिल प्रथम चार तरीकों से तामिल न होने की दशा में ही किया जायेगा।

(ड.) अपीलार्थी या पक्षकारों को सुनवाई के लिए आयोग निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायेगा:–

(एक) अपीलार्थी या प्रतिपक्ष, जैसी स्थिति हो, आवेदन की प्रक्रिया में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु किसी भी व्यक्ति अथवा अधिवक्ता का सहयोग ले सकेगा।

(दो) आयोग के आदेश खुले में सुनाये जाएँगे और आयोग द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी या सचिव द्वारा लिखित रूप में अभिप्रमाणित किए जाएंगे।

धारा 18 के अन्तर्गत आयोग द्वारा कार्यवाही की प्रक्रिया:

10.(क) आयोग अधिनियम की धारा 18(1) के खण्ड (क) से (च) में उल्लिखित कारणों से की गयी शिकायत की जांच करेगा। द्वितीय अपील में पारित आदेश का अनुपालन कराने के लिए आयोग को शिकायत प्रस्तुत नहीं की जायेगी।

(ख) शिकायत में शिकायतकर्ता स्पष्ट अंकित करेगा कि धारा 18 की उपधारा(1) के खण्ड (क) से (च) में से किस आधार या आधारों पर शिकायत की गयी है।

(ग) शिकायत की प्रति लोक सूचना अधिकारी अथवा लोक प्राधिकारी के प्रमुख, जैसी स्थिति हो, को भेजा जायेगा और शिकायत पर अपना पक्ष लिखित रूप से प्रस्तुत करने का अवसर दिया जायेगा।

(घ) आयोग आवश्यकतानुसार ऐसे सभी व्यक्तियों का साक्ष्य ले सकेगा, जो शिकायत की जांच के आवश्यक हो। ऐसे अभिलेख मंगा सकता है और निरीक्षण कर सकता है, जो शिकायत की जांच के लिए आवश्यक हो ।

(ड.) आयोग शिकायत की जांच करके दोषी लोक सूचना अधिकारी को दण्डित करने के लिए शास्ति आरोपित कर सकेगा अथवा लोक

सूचना अधिकारी के विरूद्व अनुशासनिक कार्यवाही की संस्तुति कर सकेगा।

आयोग द्वारा अधिरोपित शास्ति तथा क्षतिपूर्ति की वसूली:

11. (क) लोक सूचना अधिकारी पर अधिरोपित शास्ति अथवा लोक प्राधिकारी पर अधिरोपित क्षतिपूर्ति द्वितीय अपील अथवा शिकायत, यथास्थिति, में पारित आयोग के आदेश के दो माह की अवधि समाप्त होने पर वसूल किया जा सकेगा।

(ख) आयोग लोक सूचना अधिकारी पर शास्ति अधिरोपित करने पर शास्ति अधिरोपित करने वाले आदेश की एक प्रति शास्ति वसूलने के प्रयोजनार्थ लोक सूचना अधिकारी के लोक प्राधिकारी को उपलब्ध करायेगा, जो आदेश प्राप्त होने पर उसकी पावती आयोग को इस आशय से प्रेषित करेंगे कि वसूली के प्रयोजनार्थ शास्ति को नोट कर लिया गया है।

(ग) आयोग लोक प्राधिकारी पर क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने पर क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने वाले आदेश की एक प्रति क्षतिपूर्ति वसूलने के प्रयोजनार्थ स्वयं लोक प्राधिकारी को उपलब्ध करायेगा, जो आदेश प्राप्त होने पर उसकी पावती आयोग को इस आशय से प्रेषित करेंगे कि वसूली के प्रयोजनार्थ क्षतिपूर्ति को नोट कर लिया गया है।

(घ) शास्ति अथवा क्षतिपूर्ति वसूलने के प्रयोजनार्थ आयोग द्वारा शास्ति अथवा क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के आदेश की प्रति सम्बन्धित लोक प्राधिकारी को उपलब्ध कराना ही पर्याप्त होगा। खण्ड (ख) व (ग) के अन्तर्गत आयोग को आदेश की पावती प्राप्त होना इस बात का प्रमाण होगा कि लोक प्राधिकारी ने शास्ति अथवा क्षतिपूर्ति वसूलने के आदेश को वसूली के प्रयोजनार्थ नोट कर लिया है। पावती प्राप्त होने पर आयोग शास्ति अथवा क्षतिपूर्ति वसूलने से सम्बन्धित प्रचलित कार्यवाही समाप्त कर देंगे और इस सम्बन्ध में आयोग द्वारा अन्य किसी भी प्रकार की कार्यवाही अथवा अनुश्रवण नहीं किया जायेगा।

(ड़) खण्ड (ख) व (ग) के अन्तर्गत आयोग से आदेश प्राप्त होने व लोक प्राधिकारी द्वारा उसकी पावती आयोग को प्रेषित करने पर खण्ड (क) के अधीन शास्ति अथवा क्षतिपूर्ति वसूलने का उत्तरदायित्व लोक प्राधिकारी का होगा।

(च) लोक प्राधिकारी द्वारा शास्ति अथवा क्षतिपूर्ति को वसूल किये जाने, उसे राजकोष में जमा करने अथवा आवेदनकर्ता को भुगतान करने की कार्यवाही, यथास्थिति, ऐसी रीति, जिसे राज्य सरकार

समय–समय पर आदेश जारी कर विहित करे, के अनुसार किया जायेगा।

कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति:

12. यदि इन नियमों के प्रभावी कियान्वयन में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार आदेश जारी कर सकेगी, जो ऐसी कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक और समीचीन हो।

(सुरेन्द्र सिंह रावत)
सचिव।

पत्रांक : 565 / उ.सू.आ. / 2013
दिनांक :15 / 01 / 2013

प्रिय

कृपया सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 118/XXXI(1)G-65/2012 दिनांक 07 / 01 / 13 का संदर्भ करने का कष्ट करें जिसके द्वारा उत्तराखण्ड सूचना का अधिकार नियमावली, 2012 बनाई गयी है।

2. उपरोक्त नियमावली पर दिनांक 14 / 01 / 13 को अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में पूर्ण आयोग की बैठक हुयी. बैठक में नियमावली के विभिन्न नियमों का अध्ययन किया गया तथा सर्वप्रथम यह पाया गया कि शासन द्वारा इस नियमावली को बनाने से पूर्व आयोग से, जो सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण स्टेक–होल्डर है, न तो कोई परामर्श किया गया तथा न ही आयेाग से कोई प्रस्ताव मांगा गया. यह भी विदित नहीं है कि राज्य सरकार के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम जैसे जनोन्मुखी कानून के अंतर्गत नये सिरे से नियमावली बनाते समय किसी प्रकार का जन परामर्श किया गया है. उपरोक्त दोनों दृष्टियों से इस पारदर्शिता कानून के वर्तमान नियम बनाते समय राज्य सरकार के स्तर पर पारदर्शिता दृष्टिगोचर नहीं होती है।

3. आयोग की उपरोक्त बैठक में नियमावली के संबंध में निम्नलिखित निष्कर्ष आयोग स्तर पर सामने आये :

3.1 नियमावली में सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया सूचना हेतु शुल्क, राज्य लोक सूचना अधिकारियों के दायित्व, विभागीय अपीलीय अधिकारियों के समक्ष विभागीय अपील आदि के अंतर्गत नियम **5(छ)** तथा **6(घ)(तीन)** को छोड़ कर नियम 5 एवं 6 मुख्य रूप से राज्य लोक सूचना अधिकारियों तथा विभागीय अपीलीय अधिकारियों के मार्गदर्शनार्थ बनाये गये हैं तथा इससे उन्हें अपने कार्य करने में स्पष्टता रहेगी।

3.2 नियमावली के निम्नलिखित प्राविधानों से या तो अधिनियम में जो प्राविधान नहीं दिये गये हैं उन्हें नियमावली के माध्यम से प्राविधानित करने का प्रयास किया गया है अथवा नागरिकों के अधिकारों में कटौती करने तथा आयोग की स्वायत्तता में हस्तक्षेप करने का प्रयास हुआ है. कतिपय प्राविधानों, जिनके लिए नियम बनाने की आवश्यकता थी, उन्हें इस नये सिरे से बनायी गयी नियमावली में स्थान नहीं दिया गया है।

3.3 अधिनियम की धारा **4(1)(क)** के अंतर्गत लोक प्राधिकारी कार्यालय के सभी अभिलेखों को विधिवत कैटालॉग तथा इण्डैक्स इस प्रकार से करने का प्राविधान है जिससे सूचना प्राप्त करने में सुविधा हो तथा ऐसे अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण कर उन्हें नैटवर्क का भाग बनाया जा सके. परंतु नियमावली में शासन द्वारा इस नियम के अंतर्गत कोई नियम नहीं बनाये गये हैं जिससे कार्यालय अभिलेखों के समुचित प्रबन्धन के लिए उस महत्वपूर्ण विधि का प्राविधान अब तक लोक प्राधिकारियों द्वारा क्रियान्वित नहीं किया गया है।

3.4 अधिनियम की **धारा 27** के अंतर्गत राज्य सरकार को नियम बनाने के अधिकार दिये गये हैं जिसके **उपनियम 27(2)(घ)** में अधिनियम की **धारा 16(6)** के अंतर्गत राज्य सूचना आयोग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन भत्ते तथा उनकी सेवा शर्तों के संबंध में नियम बनाने का प्राविधान दिया गया है परंतु राज्य सरकार द्वारा इस नियमावली में उक्त प्राविधान के अंतर्गत ऐसे कोई नियम नहीं बनाये गये हैं जिससे आयोग के अधिकारियों / कर्मचारियों के वेतन भत्ते तथा सेवा शर्तों की स्थिति नियमों के द्वारा अभी तक स्पष्ट नहीं है।

3.5 नियमावली में 'राज्य सरकार द्वारा स्वतः प्रकटन के लिए सूचना विहित करना' शीर्षक के अंतर्गत **नियम 3** बनाया गया है जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्राधिकारियों के द्वारा स्वतः प्रकटन की जाने वाली सूचना को राज्य सरकार गजट में अधिसूचना प्रकाशित कर विहित कर सकती है तथा विहित सूचना का प्रकाशन लोक प्राधिकारी विहित किये जाने के 60 दिन के अंदर अभिलेख रूप में और इलैक्ट्रानिक रूप में करने की व्यवस्था की गयी है. सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकार को इस तरह के कोई अधिकार नहीं दिये गये हैं बल्कि अधिनियम की **धारा 4(1)(ख)** तथा **4(2)** के अंतर्गत सूचना के स्वःप्रकटन की व्यवस्था बनाई गई है। अधिनियम की उपरोक्त धारा के रहते यह नियम 3 स्वतः प्रकटन की किस व्यवस्था को विहित करेगा, स्पष्ट नहीं है। इससे लोक प्राधिकारियों में यह भ्रम पैदा हो सकता है कि उनके द्वारा अधिनियम की **धारा 4(1)(ख)** में दिये गये प्राविधान के अंतर्गत सूचना का स्वः प्रकटन तथा प्रकाशन नहीं किया जाना है बल्कि

स्वःप्रकटन की जाने वाली सूचना, जो राज्य सरकार के गजट में अधिसूचित कर विहित की गयी है, उसका ही स्वःप्रकटन किया जाना है. इससे लोक प्राधिकारियों के द्वारा अधिनियम की **धारा 4(1)(ख)** का प्रकाशन एवं प्रतिवर्ष उसके अद्यावधिकरण के कार्य की उपेक्षा की जायेगी जो अधिनियम के उक्त प्राविधानों के प्रतिकूल होगा.

3.6 सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया के अंतर्गत **नियम 5(छ)** में अनुरोध पत्र में मांगी गयी सूचना का चिन्हीकरण स्पष्ट रूप से न होने की दशा में लोक सूचना अधिकारी द्वारा अनुरोधकर्ता को लोक प्राधिकारी की प्रकटन योग्य सूचना को निरीक्षण कर के अथवा अन्यथा चिन्हीकरण हेतु अनुरोध पत्र प्राप्त होने के **5 दिन** के भीतर सूचित किये जाने का प्राविधान किया गया है. ऐसा कोई भी प्राविधान अधिनियम में नहीं है. नियमावली के द्वारा ऐसा कोई मौलिक प्राविधान करना उचित नहीं है. ऐसे प्राविधान से यह संभावना बन सकती है कि लोक सूचना अधिकारी किसी भी सूचना का चिन्हीकरण स्पष्ट न होने का कारण बता कर अनुरोधकर्ताओं से अभिलेखों के निरीक्षण एवं चिन्हीकरण हेतु कहेंगे जिससे सूचना उपलब्ध कराने में विलम्ब होगा. अतः अधिनियम के बाहर ऐसा प्राविधान वांछित नहीं है.

3.7 सूचना हेतु शुल्क के अंतर्गत **नियम 6(घ)** में बी.पी.एल. श्रेणी के व्यक्तियों के सूचना अनुरोध के शुल्क हेतु व्यवस्था की गयी है. इसमें बी.पी.एल. श्रेणी के अनुरोधकर्ता या उसके परिवार के सदस्य से भिन्न व्यक्ति से संबंधित सूचना की मांग किये जाने पर तथा 50 से अधिक छाया पृष्ठों अथवा रुपये 100 से अधिक व्यय आने पर अधिनियम की **धारा 7(9)** के अधीन कारण अभिलिखित कर आवेदक से कार्यालय में अभिलेखों के अवलोकन करने का प्राविधान दिया गया है. ऐसा प्राविधान अधिनियम की व्यवस्था के प्रतिकूल है. मात्र पृष्ठों की संख्या अथवा शुल्क की राशि के आधार पर किसी आवेदक से कार्यालय में अभिलेखों के अवलोकन करने का निवेदन किया जाना उचित नहीं है. अतः 50 छाया पृष्ठों से अधिक होने अथवा रुपये 100 से अधिक व्यय आने पर अधिनियम की धारा 7(3) के अंतर्गत अतिरिक्त शुल्क की गणना कर नोटिस दिया जाना चाहिए न कि उसे कार्यालय में अभिलेखों के अवलोकन हेतु बाध्य किया जाना चाहिए. यह प्राविधान सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत नागरिकों के सूचना प्राप्त करने के मार्ग में बाधा उपस्थित करेगा.

3.8 विभागीय अपीलीय अधिकारियों के समक्ष प्रथम अपील के लिए जो नियम बनाये गये हैं उनमें प्रथम अपील का निस्तारण न करने वाले अधिकारियों के संबंध में कोई व्यवस्था नहीं दी गयी है. राज्य सरकार के लिए यह उचित होगा कि ऐसे अधिकारियों के द्वारा प्रथम अपील निस्तारण न किये जाने को उनके द्वारा अपने कर्तव्यों की अवहेलना के समकक्ष मानते हुये कदाचरण घोषित किया जाना चाहिए तथा उनके विरूद्ध कर्मचारी /अधिकारी आचरण नियमावली के अंतर्गत कार्यवाही की व्यवस्था की जानी चाहिए.

3.9 आयोग में द्वितीय अपील हेतु **नियम 9** में व्यवस्था की गयी है जिसके **उपनियम (छ)** में यह व्यवस्था दी गयी है कि द्वितीय अपील निस्तारण में लोक सूचना अधिकारी तथा विभागीय अपीलीय अधिकारी को सुनवाई में उपस्थित होने का निर्देश निर्गत नहीं किया जायेगा तथा अपरिहार्य परिस्थितियों में कारण अभिलिखित करके लोक सूचना अधिकारी तथा विभागीय अपीलीय अधिकारी को द्वितीय अपील में उपस्थित होने के निर्देश दिये जा सकेंगे. यह प्राविधान आयोग की स्वायत्तता को सीमित करने का प्रयास है तथा राज्य सूचना आयोग को किसी नियमावली में ऐसे निर्देश नहीं दिये जा सकते हैं. बिना लोक सूचना अधिकारी तथा विभागीय अपीलीय अधिकारी को सुने आयोग द्वारा द्वितीय अपील का निस्तारण सम्यक रूप से नहीं किया जा सकता है. अतः नियमावली के इस प्राविधान को समाप्त किया जाना चाहिए तथा यह निर्णय आयोग के विवेक पर छोड़ दिया जाना चाहिए कि किसी द्वितीय अपील की सुनवाई में लोक सूचना अधिकारी तथा विभागीय अपीलीय अधिकारी उपस्थिति हों अथवा न हों.

3.10 **नियम 9(ख)(चार)** में यह प्राविधान किया गया है कि द्वितीय अपील में निर्धारित समय के अंदर सूचना का प्रकटन का मामला ही देखा जायेगा तथा द्वितीय अपील में किसी जांच का निर्देश नहीं दिया जायेगा. मांगी गयी सूचना से संबंधित अभिलेखों के नष्ट कर दिये जाने अथवा छुपाये जाने आदि की स्थिति द्वितीय अपील की सुनवाई के समय स्पष्ट होने पर आयोग के द्वारा संबंधित अभिलेख के नष्ट किये जाने अथवा गायब किये जाने के संबंध में जांच करने का पूरा अधिकार है. ऐसा न होने पर लोक सूचना अधिकारी के द्वारा प्रत्येक स्थिति में यह सूचना दी जा सकती है कि संबंधित अभिलेख उपलब्ध नहीं है. सूचना से संबधित अभिलेख, जो लोक प्राधिकारी कार्यालय में उपलब्ध होना चाहिए वह क्यों उपलब्ध नहीं है, उस पर जांच का पूर्ण अधिकार आयोग को है. यदि

ऐसा अभिलेख लोक प्राधिकारी के स्तर पर प्रवृत्त विनिष्टिकरण नियमावली के अंतर्गत विनिष्ट नहीं किया गया है तो उसके गायब कर दिये जाने अथवा प्रस्तुत न करने के संबंध में आयोग को जांच का पूरा अधिकार है. अतः **नियम 9(ख)(चार)**, जो आयेाग के अधिकारों को सीमित करने का प्रयास करता है, वह पूर्णरूपेण अनुचित है तथा उसे समाप्त किया जाना आवश्यक है.

3.11 **नियम 9(घ)** में आयेाग द्वारा अपील की सुनवाई हेतु नोटिस निर्गत करने की विधि का प्राविधान दिया गया है जिसमें **(घ)(पांच)** में पावती के साथ पंजीकृत या स्पीड पोस्ट से नोटिस निर्गत करने की व्यवस्था दी गयी है. परंतु यह प्रतिबंध लगाया गया है कि खण्ड पांच के अनुसार तामील प्रथम चार तरीकों से तामील न होने की दशा में ही किया जा सकेगा. यह प्राविधान आयोग की स्वायत्तता पर कुठाराघात है तो है ही साथ ही आयोग के द्वारा अपनायी जाने वाली कार्य पद्धति को भी कुंठित करने का प्रयास है. इससे आयोग द्वारा निर्गत नोटिस के तामील में अत्यधिक विलम्ब होगा. अतः **खण्ड पांच** के संबंध में जो प्रतिबंध का प्राविधान किया गया है उसे हटाया जाना आवश्यक है अन्यथा आयोग के द्वारा निर्गत किये गये नोटिसों के तामील में अत्यधिक विलम्ब होगा या विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से साधारण डाक से जो नोटिस प्रेषित किये जायेंगे उनके समय से तामील न होने के कारण पुनः उन्हें स्पीड पोस्ट/पंजीकृत पोस्ट से निर्गत करना पड़ेगा. यह प्रतिबंध सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अपीलों के त्वरित निस्तारण के लिए नितांत घातक है तथा आयोग का दृढ़ मत है कि इस प्राविधान को समाप्त किया जाये.

3.12 नियमावली के **नियम 10** में अधिनियम की धारा 18 के अंतर्गत आयोग द्वारा की जाने वाली कार्यवाही की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है. नियम 10(क) में प्राविधान है कि द्वितीय अपील में पारित आदेश का अनुपालन कराने के लिए आयोग को शिकायत प्रस्तुत नहीं की जायेगी. यह नागरिकों के इस अधिकार को समाप्त करने का अवांछित प्रयास है. अधिनियम की धारा 18(1)(च) में यह स्पष्ट व्यवस्था दी गयी है कि सूचना के आवेदन तथा अभिलेखों तक पहुंच प्राप्त करने के संबंध में किसी अल्य विषय से संबंधित शिकायत की जांच आयोग द्वारा की जा सकती है. आयोग द्वारा द्वितीय अपील में पारित आदेश अधिनियम के अधीन अभिलेखों के लिए अनुरोध करने या उन तक पहुंच सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से किये जाते हैं तथा यदि ऐसे व्यक्ति को उसके अभिलेखों की मांग हेतु किये गये अनुरोध पर द्वितीय अपील में पारित आदेश पर उसे सूचना से वंचित किया जाता है तो अधिनियम की इस धारा के अधीन उस व्यक्ति को आयोग में शिकायत करने का पूरा अधिकार प्राप्त है तथा आयोग को उस शिकायत का संज्ञान ले कर जांच करने का स्पष्ट अधिकार प्राप्त है. किसी भी सांविधिक आयोग (Statutory Commission) में अपने द्वारा पारित आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने की शक्ति निहित होती है।

नियम 10(क) के द्वारा नागरिक को प्राप्त ऐसे अधिकार को समाप्त करने का प्रयास किया गया है तथा द्वितीय अपील में पारित आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के लिए शिकायत न किये जाने की व्यवस्था की गयी है. ऐसी व्यवस्था नियमावली में नहीं की जा सकती है. यदि कानून बनाते समय संसद की यह मंशा रही हो तो ऐसी व्यवस्था कानून में संशोधन कर संसद द्वारा ही की जा सकती है. अतः नागरिकों के अधिकारों के हित में इस नियम 10(क) के इस अंश को समाप्त किया जाना आवश्यक है।

3.13 **नियम 11** में आयोग द्वारा आरोपित शास्ति तथा क्षतिपूर्ति की वसूली का प्राविधान किया गया है तथा **नियम 11(क)** में यह व्यवस्था दी गयी है कि अधिरोपित शास्ति अथवा क्षतिपूर्ति द्वितीय अपील या शिकायत में पारित आदेश के दो माह की अवधि समाप्त होने पर वसूल की जा सकेगी। इसके अतिरिक्त **नियम 11(घ)** में यह व्यवस्था की गयी है कि पावती प्राप्त होने पर आयोग शास्ति अथवा क्षतिपूर्ति वसूलने से संबंधित प्रचलित कार्यवाही समाप्त कर देगें और इस संबंध में आयोग द्वारा अन्य किसी भी प्रकार की कार्यवाही अथवा अनुश्रवण नहीं किया जायेगा। शासन के लिए यह प्राविधान करना आवश्यक होगा कि यदि ऐसा अनुश्रवण आयोग स्तर से नहीं किया जाना है तो शासन के संबंधित विभाग अथवा विभागाध्यक्ष यथास्थिति उसका अनुश्रवण करें अन्यथा शास्ति अथवा क्षतिपूर्ति की वसूली के अभाव में सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत उसका जो प्रभाव होता वह समाप्त हो जायेगा तथा सूचना का अधिकार अधिनियम प्रभावी नहीं रह पायेगा।

4. बैठक में आयोग द्वारा यह संकल्प पारित किया गया कि सरकार द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 118/XXXI(1)G-65/2012 दिनांक 07/01/13 जिसके द्वारा उत्तराखण्ड सूचना का अधिकार नियमावली, 2012 बनायी गयी है, में जो कमियां

उपरोक्तानुसार आयोग द्वारा इंगित की गयी हैं तथा विधि से असंगत जो नियम बनाये गये हैं उनके दृष्टिगत राज्य सरकार से आग्रह किया जाये कि नियमावली का क्रियान्वयन तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया जाये तथा उत्तराखण्ड सूचना आयोग एवं अन्य स्टेक–होल्डर्स के साथ परामर्श एवं विचार विमर्श कर के यथाशीघ्र पुनः नयी नियमावली बनायी जाये।

5. आयोग की उक्त बैठक का कार्यवृत्त मैं इस पत्र के साथ आपके अवलोकनार्थ इस आग्रह के साथ संलग्न कर रहा हूं कि कृपया इस प्रकरण पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देते हुये शासन स्तर पर आयोग की टिप्पणियों/आपत्तियों पर शीघ्र परीक्षण एवं आवश्यक परामर्श के पश्चात नियमावली में यथास्थान संशोधन यथाशीघ्र कराने का कष्ट करेंगे अन्यथा भारत की संसद के द्वारा जिस उद्देश्य/मंशा से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 को बनाया गया है, इस नियमावली के उपरोक्त प्राविधानों से वह निष्फल हो जायेगा.

भवनिष्ठ,

संलग्न : यथोपरि.

(एन. एस. नपलच्याल)

श्री आलोक कुमार जैन
मुख्य सचिव
उत्तराखण्ड शासन, देहरादून

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. प्रमुख सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून.
2. प्रमुख सचिव, मा. मुख्य मंत्री जी, उत्तराखण्ड, देहरादून.

संलग्न : यथोपरि

(एन. एस. नपलच्याल)
मुख्य सूचना आयुक्त

दिनांक 14/01/2012 को मुख्य सूचना आयुक्त की अध्यक्षता में हुयी राज्य सूचना आयोग की बैठक का कार्यवृत्त

बैठक में उपस्थिति निम्नवत् रही :

1. श्री विनोद नौटियाल, मा. राज्य सूचना आयुक्त
2. श्री अनिल कुमार शर्मा, मा. राज्य सूचना आयुक्त
3. श्री प्रभात डबराल, मा. राज्य सूचना आयुक्त
4. श्री विनोद कुमार सुमन, सचिव
5. श्रीमती शुचिस्मिता सेनगुप्ता पाण्डेय, उप सचिव

1. मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 118/XXXI(1)G-65/2012 दिनांक 07/01/13, जो आयोग को 08/01/13 को प्राप्त हुयी है, तथा जिसके द्वारा उत्तराखण्ड सूचना का अधिकार नियमावाली, 2012 बनाई गयी है के संबंध में आयोग स्तर पर अब तक हुयी अनौपचारिक विचार विमर्श के सार से अवगत कराया गया तथा यह कहा गया कि शासन द्वारा इस नियमावली को बनाने से पूर्व आयोग से, जो सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण स्टेक–होल्डर है, न तो कोई परामर्श किया गया तथा न ही आयेाग से कोई प्रस्ताव मांगा गया. यह भी विदित नहीं है कि राज्य सरकार के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम जैसे जनोन्मुखी कानून के अंतर्गत नये सिरे से नियमावली बनाते समय किसी प्रकार का जन परामर्श किया गया है. उपरोक्त दोनों दृष्टियों से इस पारदर्शिता कानून के वर्तमान नियम बनाते समय राज्य सरकार के स्तर पर पारदर्शिता दृष्टिगोचर नहीं होती है।

2. श्री प्रभात डबराल, मा. राज्य सूचना आयुक्त के द्वारा कहा गया कि सूचना का अधिकार अधिनियम की नियमावली को परिवर्तित कर अधिसूचित करने का राज्य सरकार का एकतरफा फैसला आश्चर्यजनक भी है और खेदजनक भी. अधिनियम लागू होने के सात साल बाद यदि पुरानी नियमावली में सुधार की आवश्यकता महसूस हो रही थी तो आयोग तथा सूचना अधिकार के अन्य सभी स्टेक होल्डर्स से व्यापक विचार विमर्श कर के ही नई नियमवाली बनायी जानी चाहिए थी. जिस तरह गुपचुप तरीके से नियमावली को अधिसूचित कर के आयोग तथा आम नागरिकों पर थोपा गया है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर सार्वजनिक विमर्श से कतरा रही है. यह दृष्टिकोण आलोकतांत्रिक तो है कि, प्रदेश में सूचना आंदोलन को कमजोर करने की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा भी प्रतीत हो रहा है. पिछले सात वर्षों में सूचना अधिकार से जुड़े लोक सेवकों, सूचना कार्यकर्ताओं तथा आयोग की सक्रियता से प्रदेश ने सूचना अधिकार के क्रियान्वयन के क्षेत्र में एक ऊंचा मुकाम हासिल किया है. ऐसा लग रहा है कि कुछ प्रभावी स्तरों पर इस आंदोलन को कमजोर करने का जानबूझ कर प्रयास किया जा रहा है. उनके द्वारा यह भी कहा गया कि नई नियमवाली में ऐसे अनेक बिंदु हैं जो सूचना का अधिकार अधिनियम की मूल भावना के विपरीत हैं तथा व्यापक विचार विमर्श के बाद उन्हें निरस्त किया ही जाना चाहिए।

3. श्री विनोद नौटियाल, मा. राज्य सूचना आयुक्त तथा श्री अनिल कुमार शर्मा, मा. राज्य सूचना आयुक्त के द्वारा इस नियमावली को विधि विरूद्ध बताते हुए इसे सूचना का अधिकार अधिनियम की मूल भावना के विपरीत बताया गया। इनके द्वारा कहा गया कि सरकार द्वारा इन विषयों की व्याख्या अपने ढंग से करते हुए कई ऐसे विषयों पर नियमावली बना दी गयी है जोकि विधि सम्मत नहीं है। हमारी राय में अन्य विषयों का आशय क, ख, ग, घ, ड. के विषयों पर ही नियमावली बनायी जा सकती है, अन्य विषयों पर नहीं। अधिनियम के विरूद्ध कोई भी नियम नहीं बनाया जा सकता है। शासन द्वारा बनाई गई नियमावली के नियम 1, 6(क) एवं 9(क) के अंतर्गत ही मात्र नियमावली बनाया जाना विधि सम्मत होगा। यद्यपि इन सभी पर हमारी आपत्ति है। उक्त नियमों को राज्य सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 26 के अन्तर्गत दिये गये कर्तव्यों में अन्य प्रस्तर रूप में प्रकाशित कर प्रकाशित व प्रचारित किया जाना चाहिए कि धारा 27(2) की नियमावली में इन्हें रखा जाना चाहिए।

अधिसूचना के प्रकीर्ण भाग में जो विद्यमान नियमों को अतिक्रमित किये जाने का उल्लेख किया गया है उन नियमों का उल्लेख नहीं किया गया है कि वे विद्यमान नियम कौन–कौन से हैं एवम् इन नियमों को अतिक्रमित करने की क्यों आवश्यकता हुई। 9(क) के ख (1) पर आपत्ति है। आयोग किसी को भी पक्षकार नहीं बनाता है। अपीलार्थी के द्वारा ही लोक सूचना अधिकार व प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी को पक्षकार बनाया जाता है। 9 (ख) 2 में मात्र लोक सूचना अधिकारी, प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी नहीं बल्कि अपीलार्थी को भी प्रतिवाद प्रस्तुत करने का अवसर दिये जाने का प्राविधान होना चाहिए।

आयोग के आदेश की पालना की गई है कि नहीं इसकी जानकारी प्राप्त करने का आयोग को पूर्ण अधिकार है। आयोग

द्वारा मात्र शास्ति आरोपित करना व क्षतिपूर्ति का आदेश देना व उसके उपरान्त आयोग को कोई अधिकार नहीं होगा की नियमावली अधिनियम के विरूद्ध है।

9(ख) (7) का यह प्राविधान कतई गलत है कि कारण बताओ नोटिस के बाद की कार्यवाही द्वितीय अपील से पृथक रूप से की जायेगी, अर्थात अपीलार्थी इस कार्यवाही में सम्मिलित नहीं होगा यह प्राविधान व्यवहारिक नहीं है।

आयोग सूचनायें दिलवाने के लिए अन्तिम मंच है, जिस भी स्तर पर सूचना धारित है आयोग को अवगत कराये जाने पर आयोग सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी को पक्षकार बनाकर सूचना दिलवाये जाने का आदेश/निर्देश देता है। यदि आयोग लोक सूचना अधिकारी व प्रथम अपीलीय अधिकारी के अतिरिक्त किसी को भी आयोग में नहीं बुला पायेगा तो 90 प्रतिशत प्रकरण जो आयोग में आते हैं में बिना सूचनायें दिलवाये द्वितीय अपीलों का निस्तारण करना पड़ेगा। जिस विषय पर नियमावली बनायी जानी चाहिए उस विषय पर नियमावली नहीं बनायी गयी है। धारा 27(2) के अंतर्गत स्पष्ट रूप से प्राविधानित है कि आयोग के अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति व सेवा विषयों पर समुचित सरकार द्वारा नियमावली बनायी जायेगी।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 256 में स्पष्ट रूप से प्राविधानित किया गया है कि राज्य सरकार संसद द्वारा पारित कानून का पूर्ण सम्मान करेगी उसके विपरीत किसी प्रकार का कानून एवं नियम नहीं बनायेंगी। इस प्रकरण में जो नियमावली बनायी गयी है वह भारत की संसद द्वारा पारित कानून के विपरीत है।

इनके द्वारा भारतीय संविधान के कई प्राविधानों तथा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित कई निर्णयो का विवरण देते हुए इस नियमावली को विधि विरूद्ध बताया गया है तथा कहा गया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 22 के अंतर्गत कोई भी अधिनियम, प्राविधान, नियम, आदेश जो कि सूचना का अधिकार अधिनियम के प्राविधानों के विपरीत हैं उसे समाप्त माना जायेगा इसी आधार पर शासकीय गुप्तबात अधिनियम 1923 व अन्य प्राविधानों को समाप्त माना गया था। इस आधार पर भी सूचना का अधिकार अधिनियम की मूल भावना के विपरीत बनायी गयी इस नियमावली को निरस्त किया माना जाना चाहिए। क्योंकि इस नियमावली का व्यापक विरोध हो रहा है इसलिये हमारी राय में अग्रिम आदेश तक इस नियमावली के क्रियान्वयन को स्थगित कर दिया जाये एवम् उत्तराखण्ड सूचना आयोग, सूचना प्रवर्तक एवम् अन्य विद्वानजनों व विधि विशेषज्ञों की राय जानने के बाद उन्हें विश्वास में लेकर यदि आवश्यक हो तो नयी नियमावली बनायी जाये, यदि ऐसा भी राज्य सरकार के लिये सम्भव नहीं है तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 258 ए के अंतर्गत इस नियमावली जोकि हमारी राय में संसद द्वारा पारित अधिनियम की मूल भावना के विपरीत है को भारत सरकार को संदर्भित किया जाये एवम् भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप आगे की कार्यवाही की जाये।

4. श्री विनोद नौटियाल, मा. राज्य सूचना आयुक्त तथा श्री अनिल कुमार शर्मा, मा. राज्य सूचना आयुक्त के द्वारा इस संबंध में एक लिखित टिप्पणी भी बैठक में प्रस्तुत की गयी जिसे इस कार्यवृत्त के साथ संलग्न किया जा रहा है.

5. बैठक में इस नियमावली का अध्ययन किया गया तथा नियमावली के संबंध में निम्नलिखित निष्कर्ष आयोग स्तर पर सामने आये :

3.14 नियमावली में सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया सूचना हेतु शुल्क, राज्य लोकसूचना अधिकारियों के दायित्व, विभागीय अपीलीय अधिकारियों के समक्ष विभागीय अपील आदि के अंतर्गत **नियम 5(छ)** तथा **6(घ)(तीन)** को छोड़ कर नियम 5 एवं 6 मुख्य रूप से राज्य लोक सूचना अधिकारियों तथा विभागीय अपीलीय अधिकारियों के मार्गदर्शनार्थ बनाये गये हैं तथा इससे उन्हें अपने कार्य करने में स्पष्टता रहेगी।

3.15 नियमावली के निम्नलिखित प्राविधानों से या तो अधिनियम में जो प्राविधान नहीं दिये गये हैं उन्हें नियमावली के माध्यम से प्राविधानित करने का प्रयास किया गया है अथवा नागरिकों के अधिकारों में कटौती करने तथा आयोग की स्वायत्तता में हस्तक्षेप करने का प्रयास हुआ है. कतिपय प्राविधानों, जिनके लिए नियम बनाने की आवश्यकता थी, उन्हें इस नये सिरे से बनायी गयी नियमावली में स्थान नहीं दिया गया है.

3.16 अधिनियम की **धारा 4(1)(क)** के अंतर्गत लोक प्राधिकारी कार्यालय के सभी अभिलेखों को विधिवत कैटालॉग तथा इण्डैक्स इस प्रकार से करने का प्राविधान है जिससे सूचना प्राप्त करने में सुविधा हो तथा ऐसे अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण कर उन्हें नैटवर्क का भाग बनाया जा सके. परंतु नियमावली में शासन द्वारा इस नियम के अंतर्गत कोई नियम नहीं बनाये गये हैं जिससे कार्यालय अभिलेखों के समुचित प्रबन्धन के लिए उस महत्वपूर्ण विधि का प्राविधान अब तक लोक प्राधिकारियों द्वारा क्रियान्वित नहीं किया गया है.

3.17 अधिनियम की **धारा 27** के अंतर्गत राज्य सरकार को नियम बनाने के अधिकार दिये गये हैं जिसके **उपनियम 27(2)(घ)** में अधिनियम की **धारा 16(6)** के अंतर्गत राज्य सूचना आयोग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन भत्ते तथा उनकी सेवा शर्तों के संबंध में नियम बनाने का प्राविधान दिया गया है परंतु राज्य सरकार द्वारा इस नियमावली में उक्त प्राविधान के अंतर्गत ऐसे कोई नियम नहीं बनाये गये हैं जिससे आयोग के अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ते तथा सेवा शर्तों की स्थिति नियमों के द्वारा अभी तक स्पष्ट नहीं है.

3.18 नियमावली में 'राज्य सरकार द्वारा स्वतः प्रकटन के लिए सूचना विहित करना' शीर्षक के अंतर्गत **नियम 3** बनाया गया है जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्राधिकारियों के द्वारा स्वतः प्रकटन की जाने वाली सूचना को राज्य सरकार गजट में अधिसूचना प्रकाशित कर विहित कर सकती है तथा विहित सूचना का प्रकाशन लोक प्राधिकारी विहित किये जाने के 60 दिन के अंदर अभिलेख रूप में और इलैक्ट्रानिक रूप में करने की व्यवस्था की गयी है. सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकार को इस तरह के कोई अधिकार नहीं दिये गये हैं बल्कि अधिनियम की **धारा 4(1)(ख)** तथा **4(2)** के अंतर्गत सूचना के स्वःप्रकटन की व्यवस्था बनाई गई है. अधिनियम की उपरोक्त धारा के रहते यह नियम 3 स्वतः प्रकटन की किस व्यवस्था को विहित करेगा, स्पष्ट नहीं है. इससे लोक प्राधिकारियों में यह भ्रम पैदा हो सकता है कि उनके द्वारा अधिनियम की **धारा 4(1)(ख)** में दिये गये प्राविधान के अंतर्गत सूचना का स्वः प्रकटन तथा प्रकाशन नहीं किया जाना है बल्कि स्वःप्रकटन की जाने वाली सूचना, जो राज्य सरकार के गजट में अधिसूचित कर विहित की गयी है, उसका ही स्वःप्रकटन किया जाना है. इससे लोक प्राधिकारियों के द्वारा अधिनियम की **धारा 4(1)(ख)** का प्रकाशन एवं प्रतिवर्ष उसके अद्यावधिकरण के कार्य की उपेक्षा की जायेगी जो अधिनियम के उक्त प्राविधानों के प्रतिकूल होगा.

3.19 सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया के अंतर्गत **नियम 5(छ)** में अनुरोध पत्र में मांगी गयी सूचना का चिन्हीकरण स्पष्ट रूप से न होने की दशा में लोक सूचना अधिकारी द्वारा अनुरोधकर्ता को लोक प्राधिकारी की प्रकटन योग्य सूचना को निरीक्षण कर के अथवा अन्यथा चिन्हीकरण हेतु अनुरोध पत्र प्राप्त होने के **5 दिन** के भीतर सूचित किये जाने का प्राविधान किया गया है. ऐसा कोई भी प्राविधान अधिनियम में नहीं है. नियमावली के द्वारा ऐसा कोई मौलिक प्राविधान करना उचित नहीं है. ऐसे प्राविधान से यह संभावना बन सकती है कि लोक सूचना अधिकारी किसी भी सूचना का चिन्हीकरण स्पष्ट न होने का कारण बता कर अनुरोधकर्ताओं से अभिलेखों के निरीक्षण एवं चिन्हीकरण हेतु कहेंगे जिससे सूचना उपलब्ध कराने में विलम्ब होगा. अतः अधिनियम के बाहर ऐसा प्राविधान वांछित नहीं है.

3.20 सूचना हेतु शुल्क के अंतर्गत **नियम 6(घ)** में बी.पी.एल. श्रेणी के व्यक्तियों के सूचना अनुरोध के शुल्क हेतु व्यवस्था की गयी है. इसमें बी.पी.एल. श्रेणी के अनुरोधकर्ता या उसके परिवार के सदस्य से भिन्न व्यक्ति से संबंधित सूचना की मांग किये जाने पर तथा 50 से अधिक छाया पृष्ठों अथवा रुपये 100 से अधिक व्यय आने पर अधिनियम की **धारा 7(9)** के अधीन कारण अभिलिखित कर आवेदक से कार्यालय में अभिलेखों के अवलोकन करने का प्राविधान दिया गया है. ऐसा प्राविधान अधिनियम की व्यवस्था के प्रतिकूल है. मात्र पृष्ठों की संख्या अथवा शुल्क की राशि के आधार पर किसी आवेदक से कार्यालय में अभिलेखों के अवलोकन करने का निवेदन किया जाना उचित नहीं है. अतः 50 छाया पृष्ठों से अधिक होने अथवा रुपये 100 से अधिक व्यय आने पर अधिनियम की धारा 7(3) के अंतर्गत अतिरिक्त शुल्क की गणना कर नोटिस दिया जाना चाहिए न कि उसे कार्यालय में अभिलेखों के अवलोकन हेतु बाध्य किया जाना चाहिए. यह प्राविधान सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत नागरिकों के सूचना प्राप्त करने के मार्ग में बाधा उपस्थित करेगा.

3.21 विभागीय अपीलीय अधिकारियों के समक्ष प्रथम अपील के लिए जो नियम बनाये गये हैं उनमें प्रथम अपील का निस्तारण न करने वाले अधिकारियों के संबंध में कोई व्यवस्था नहीं दी गयी है. राज्य सरकार के लिए यह उचित होगा कि ऐसे अधिकारियों के द्वारा प्रथम अपील निस्तारण न किये जाने को उनके द्वारा अपने कर्तव्यों की अवहेलना के समकक्ष मानते हुये कदाचरण घोषित किया जाना चाहिए तथा उनके विरूद्ध कर्मचारी /अधिकारी आचरण नियमावली के अंतर्गत कार्यवाही की व्यवस्था की जानी चाहिए.

3.22 आयोग में द्वितीय अपील हेतु **नियम 9** में व्यवस्था की गयी है जिसके **उपनियम (छ)** में यह व्यवस्था दी गयी है कि द्वितीय अपील निस्तारण में लोक सूचना अधिकारी तथा विभागीय अपीलीय अधिकारी को सुनवाई में

उपस्थित होने का निर्देश निर्गत नहीं किया जायेगा तथा अपरिहार्य परिस्थितियों में कारण अभिलिखित करके लोक सूचना अधिकारी तथा विभागीय अपीलीय अधिकारी को द्वितीय अपील में उपस्थित होने के निर्देश दिये जा सकेंगे. यह प्राविधान आयोग की स्वायत्तता को सीमित करने का प्रयास है तथा राज्य सूचना आयोग को किसी नियमावली में ऐसे निर्देश नहीं दिये जा सकते हैं. बिना लोक सूचना अधिकारी तथा विभागीय अपीलीय अधिकारी को सुने आयोग द्वारा द्वितीय अपील का निस्तारण सम्यक रूप से नहीं किया जा सकता है. अतः नियमावली के इस प्राविधान को समाप्त किया जाना चाहिए तथा यह निर्णय आयोग के विवेक पर छोड़ दिया जाना चाहिए कि किसी द्वितीय अपील की सुनवाई में लोक सूचना अधिकारी तथा विभागीय अपीलीय अधिकारी उपस्थिति हों अथवा न हों.

3.23 **नियम 9(ख)(चार)** में यह प्राविधान किया गया है कि द्वितीय अपील में निर्धारित समय के अंदर सूचना का प्रकटन का मामला ही देखा जायेगा तथा द्वितीय अपील में किसी जांच का निर्देश नहीं दिया जायेगा. मांगी गयी सूचना से संबंधित अभिलेखों के नष्ट कर दिये जाने अथवा छुपाये जाने आदि की स्थिति द्वितीय अपील की सुनवाई के समय स्पष्ट होने पर आयोग के द्वारा संबंधित अभिलेख के नष्ट किये जाने अथवा गायब किये जाने के संबंध में जांच करने का पूरा अधिकार है. ऐसा न होने पर लोक सूचना अधिकारी के द्वारा प्रत्येक स्थिति में यह सूचना दी जा सकती है कि संबंधित अभिलेख उपलब्ध नहीं है. सूचना से संबधित अभिलेख, जो लोक प्राधिकारी कार्यालय में उपलब्ध होना चाहिए वह क्यों उपलब्ध नहीं है, उस पर जांच का पूर्ण अधिकार आयोग को है. यदि ऐसा अभिलेख लोक प्राधिकारी के स्तर पर प्रवृत्त विनिष्टिकरण नियमावली के अंतर्गत विनिष्ट नहीं किया गया है तो उसके गायब कर दिये जाने अथवा प्रस्तुत न करने के संबंध में आयोग को जांच का पूरा अधिकार है. अतः **नियम 9(ख)(चार)**, जो आयोग के अधिकारों को सीमित करने का प्रयास करता है, वह पूर्णरूपेण अनुचित है तथा उसे समाप्त किया जाना आवश्यक है.

3.24 **नियम 9(घ)** में आयोग द्वारा अपील की सुनवाई हेतु नोटिस निर्गत करने की विधि का प्राविधान दिया गया है जिसमें **(घ)(पांच)** में पावती के साथ पंजीकृत या स्पीड पोस्ट से नोटिस निर्गत करने की व्यवस्था दी गयी है. परंतु यह प्रतिबंध लगाया गया है कि खण्ड पांच के अनुसार तामील प्रथम चार तरीकों से तामील न होने की दशा में ही किया जा सकेगा. यह प्राविधान आयोग की स्वायत्तता पर कुठाराघात है तो है ही साथ ही आयोग के द्वारा अपनायी जाने वाली कार्य पद्धति को भी कुंठित करने का प्रयास है. इससे आयोग द्वारा निर्गत नोटिस के तामील में अत्यधिक विलम्ब होगा. अतः **खण्ड पांच** के संबंध में जो प्रतिबंध का प्राविधान किया गया है उसे हटाया जाना आवश्यक है अन्यथा आयोग के द्वारा निर्गत किये गये नोटिसों के तामील में अत्यधिक विलम्ब होगा या विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से साधारण डाक से जो नोटिस प्रेषित किये जायेंगे उनके समय से तामील न होने के कारण पुनः उन्हें स्पीड पोस्ट/पंजीकृत पोस्ट से निर्गत करना पड़ेगा. यह प्रतिबंध सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अपीलों के त्वरित निस्तारण के लिए नितांत घातक है तथा आयोग का दृढ़ मत है कि इस प्राविधान को समाप्त किया जाये.

3.25 नियमावली के **नियम 10** में अधिनियम की धारा 18 के अंतर्गत आयोग द्वारा की जाने वाली कार्यवाही की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है. नियम 10(क) में प्राविधान है कि द्वितीय अपील में पारित आदेश का अनुपालन कराने के लिए आयोग को शिकायत प्रस्तुत नहीं की जायेगी. यह नागरिकों के इस अधिकार को समाप्त करने का अवांछित प्रयास है. अधिनियम की धारा 18(1)(च) में यह स्पष्ट व्यवस्था दी गयी है कि सूचना के आवेदन तथा अभिलेखों तक पहुंच प्राप्त करने के संबंध में किसी अल्य विषय से संबंधित शिकायत की जांच आयोग द्वारा की जा सकती है. आयोग द्वारा द्वितीय अपील में पारित आदेश अधिनियम के अधीन अभिलेखों के लिए अनुरोध करने या उन तक पहुंच सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से किये जाते हैं तथा यदि ऐसे व्यक्ति को उसके अभिलेखों की मांग हेतु किये गये अनुरोध पर द्वितीय अपील में पारित आदेश पर उसे सूचना से वंचित किया जाता है तो अधिनियम की इस धारा के अधीन उस व्यक्ति को आयोग में शिकायत करने का पूरा अधिकार प्राप्त है तथा आयोग को उस शिकायत का संज्ञान ले कर जांच करने का स्पष्ट अधिकार प्राप्त है. किसी भी सांविधिक आयोग (Statutory Commission) में अपने द्वारा पारित आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने की शक्ति निहित होती है.

नियम 10(क) के द्वारा नागरिक को प्राप्त ऐसे अधिकार को समाप्त करने का प्रयास किया गया है तथा द्वितीय अपील में पारित आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के लिए शिकायत न किये जाने की व्यवस्था की गयी है. ऐसी व्यवस्था नियमावली में नहीं की जा सकती

है. यदि कानून बनाते समय संसद की यह मंशा रही हो तो ऐसी व्यवस्था कानून में संशोधन कर संसद द्वारा ही की जा सकती है. अतः नागरिकों के अधिकारों के हित में इस नियम 10(क) के इस अंश को समाप्त किया जाना आवश्यक है.

3.26 **नियम 11** में आयोग द्वारा आरोपित शास्ति तथा क्षतिपूर्ति की वसूली का प्राविधान किया गया है तथा **नियम 11(क)** में यह व्यवस्था दी गयी है कि अधिरोपित शास्ति अथवा क्षतिपूर्ति द्वितीय अपील या शिकायत में पारित आदेश के दो माह की अवधि समाप्त होने पर वसूल की जा सकेगी. इसके अतिरिक्त **नियम 11(घ)** में यह व्यवस्था की गयी है कि पावती प्राप्त होने पर आयोग शास्ति अथवा क्षतिपूर्ति वसूलने से संबंधित प्रचलित कार्यवाही समाप्त कर देगें और इस संबंध में आयोग द्वारा अन्य किसी भी प्रकार की कार्यवाही अथवा अनुश्रवण नहीं किया जायेगा. शासन के लिए यह प्राविधान करना आवश्यक होगा कि यदि ऐसा अनुश्रवण आयोग स्तर से नहीं किया जाना है तो शासन के संबंधित विभाग अथवा विभागाध्यक्ष यथास्थिति उसका अनुश्रवण करें अन्यथा शास्ति अथवा क्षतिपूर्ति की वसूली के अभाव में सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत उसका जो प्रभाव होता वह समाप्त हो जायेगा तथा सूचना का अधिकार अधिनियम प्रभावी नहीं रह पायेगा.

6. उपरोक्त के दृष्टिगत आयोग द्वारा निम्न संकल्प पारित किया गया है :

''सरकार द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 118/XXXI(1)G-65/2012 दिनांक 07/01/13 जिसके द्वारा उत्तराखण्ड सूचना का अधिकार नियमावली, 2012 बनायी गयी है, में जो कमियां उपरोक्तानुसार आयोग द्वारा इंगित की गयी हैं तथा विधि से असंगत जो नियम बनाये गये हैं उनके दृष्टिगत राज्य सरकार से आग्रह किया जाये कि नियमावली का क्रियान्वयन तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया जाये तथा उत्तराखण्ड सूचना आयोग एवं अन्य स्टेक–होल्डर्स के साथ परामर्श एवं विचार विमर्श कर के यथाशीघ्र पुनः नयी नियमावली बनायी जाये.''

(प्रभात डबराल)	**(अनिल कुमार शर्मा)**	**(विनोद नौटियाल)**	**(एन. एस. नपलच्याल)**
राज्य सूचना आयुक्त	राज्य सूचना आयुक्त	राज्य सूचना आयुक्त	मुख्य सूचना आयुक्त

संलग्न : टिप्पणी.

पत्रांक : 7320 / उ.सू.आ. / 2013–14
दिनांक : 21 / 06 / 2013

प्रिय

उत्तराखण्ड सूचना का अधिकार अधिनियम नियमावली, 2013 के सम्बंध में आपसे हुयी अनौपचारिक वार्ता में हुयी सहमति के आधार पर आयोग द्वारा कतिपय संशोधनों का प्रस्ताव तैयार कर आपको प्रेषित किया जा रहा है.

2. सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा बनाये जाने वाली नियमावली को विधिसम्मत एवं व्यावहारिक बनाने के लिए यह आवश्यक है कि आयोग द्वारा दिये गये संलग्न सुझावों का समावेश प्रस्तावित नियमावली में कर लिया जाये.

3. कृपया शासन स्तर से कृत कार्यवाही से आयोग को यथाशीघ्र अवगत कराने का कष्ट करें.

भवनिष्ठ,

एन. एस. नपलच्याल

श्री एस. एस. रावत
सचिव, सामान्य प्रशासन
उत्तराखण्ड शासन,
देहरादून

The following amendments need to be made under the proposed new RTI Rules:

1. In Rule 2(e) [Definitions] the definition of BPL needs to be made more generic instead of specific.

2. In Rule 3 [Prescribing information for self disclosure by the State Government], after "The State Government may"; the phrase, "in addition to the manuals to be prepared and updated u/s 4(1)(b) of the RTI Act", may be added.

3. In the same Rule, for the annual updating of the manuals prepared and to be updated u/s 4(1)(b) of the RTI Act as prescribed u/s 4(1)(b)(xvii), the period of updation of the publications for each year may be prescribed up to 30th June.

4. In Rule 5(f) [Procedure for obtaining information], In case the information requested in application not being clearly identified; instead of the Public Information Officer making request to the applicant to inspect the disclosable information; it may be prescribed that he may seek clarification in writing and the period from the date of seeking such clarification to the date of receiving such clarification may be excluded, and information may be provided to the applicant as per procedure within the prescribed time period.

5. In Rule 5(h) the sentence, "After getting inspected the information by the applicant the information shall be provided to the applicant by the Public Information Officer in the form in which providing information the resources of the Public Authority are not disproportionately deviated", may be deleted.

6. In Rule 6 [Fee for information], the sentence, "Provided that no fees shall be payable by the persons below poverty line", may be put after sub-Rule 6(c).

7. The sub-Rule 6(d) the sentence, "In case the requested information exceeds this limit, the BPL category person may be permitted to inspect the records and take notes or obtain photocopies at his own expense", may be deleted as it would be violative of the provisions of Section 7(5) of the RTI Act.

8. In Rule 7(a) [Obligations of State Public Information Officers], a period of 10 days instead of a week may be prescribed for informing about the additional fees.

9. In Rule 8(e) [First Appeal before the Departmental Appeal Officer], the sentence starting from, "the Public Information Officer has not refused disclosure such personal information which is related to public activities and interest or which does not unnecessarily violate the privacy of the person or the disclosure of which is justified in the larger public interest", may be deleted.

10. In Rule 8(f) the information by the Public Information Officer on the direction of the First Appeal Officer within a week may be prescribed to be given free of cost instead of charging the prescribed fee.

11. In Rule 8(g) the inspection of records after the direction of the Appeal Officer for disclosing information should not be required. The First Appeal Officer should pass clear order for disclosure of specific information and such information should be provided free of cost.

12. In Rule 9(b)(i) [Second Appeal in Information Commission], the sentence "Any other officer/authority shall not be made respondent in the second appeal" may be deleted.

13. In Rule 9(b)(v) the sentence, "No other Authority shall be directed to inquire into any other issue during the disposal of the Second Appeal, in question", may be substituted by, "no other Authority other than the Public

Authority concerned shall be directed to inquire into any other issue during the disposal of the Second Appeal, in question".

14. In Rule 9(b)(vi) the sentence, "No interim order shall be passed by the Commission thereafter.", may be deleted, as no such Rule can be framed to circumscribe the autonomy of the Commission.

In the same Rule the sentence, "The second appeal shall be disposed off, as far as possible, within 90 days and latest within 120 days", may be deleted; as no fresh provisions in the Rules can be made which are not there in the original Act.

15. In Rule 9(b)(viii) the sentence, "While disposing off the second appeal the Public Information Officer and first Departmental Appeal Officer or any other officer shall not be directed to be present during the hearing", may be deleted. It should be left to the discretion of the Commission for smooth and speedy disposal of the second appeals.

16. In Rule 9(b)(x) the sentence, "The action of imposing penalty against the Public Information Officer shall be initiated along with the disposal order of the Second Appeal. The disposal of Second Appeal shall not be kept pending for initiating the process of imposing penalty", may be deleted.

17. In Rule 9(d) the following modes of serving notice to be issued by the Commission

(i) through the party itself,
(ii) through the server by hand,
(iii) by ordinary post,
(iv) through Head of Office or Head of Department,
(v) by email through internet or SMS.

may be deleted.

And only "issue of notice by registered post, or speed post", should be prescribed.

Also the sentence, "provided further that the delivery may be made by fifth mode only in case it is not possible by other five means as per clause (five)", may be deleted.

18. In Rule 10 [Procedure for action by the Commission under Section (18) of the Act], it may not be required to prescribe such procedures, as Section 18 is a self-contained Section. Therefore, Rule 10 may be deleted.

19. In Rule 11(a) [Recovery of Compensation and Penalty imposed by the Commission], the time period for recovery may be reduced to "two months" from three months from the date of order.

20. In Rule 11(b) the Commission feels that recovery of penalty should be in five installments instead of three installments. However, the State Government may take a final view in the matter.

In this Rule an Annexure may be added prescribing the Form for acknowledgement of Commission's order imposing penalty and compensation.

21. In Rule 11(e), a Register may be prescribed to be kept in the office of the Public Authority or the Head of Office to record the particulars of the orders of the Commission regarding imposition of penalty and compensation. In the same Rule a Form for reporting of compliance of the order for recovery of penalty and compensation may be prescribed. The Public Authorities/Heads of Office would report the compliance to the Commission on this Form.

क्रम संख्या–165 (क)

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2012–14
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

देहरादून, शुक्रवार, 28 जून, 2013 ई0
आषाढ़ 07, 1935 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

सामान्य प्रशासन अनुभाग

संख्या 2132/XXXI(13)G-65(सू0अ0)/2012
देहरादून, 28 जून, 2013

अधिसूचना

प्रकीर्ण

प0 आ0–107

राज्यपाल, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 22 वर्ष 2005) की धारा 27 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड सूचना का अधिकार नियमावली, 2013

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ:

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम, उत्तराखण्ड सूचना का अधिकार नियमावली, 2013 होगा।

(2) यह राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

परिभाषाएं:

2. जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में:—

(क) "अधिनियम" से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 अभिप्रेत है,

(ख) "धारा" से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा अभिप्रेत है,

(ग) "आयोग" से उत्तराखण्ड राज्य सूचना आयोग अभिप्रेत है,

(घ) "राज्य सरकार" से उत्तराखण्ड राज्य सरकार अभिप्रेत है,

(ड़) "बी0पी0एल0" से गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाला ऐसा व्यक्ति, जिसकी वार्षिक आय रु0 12,000/—(रु0 बारह हजार मात्र) से कम हो, अभिप्रेत है,

(च) "प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी" से सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन योजित प्रथम अपील के निस्तारण हेतु धारा 19(1) के अधीन नामित अधिकारी अभिप्रेत है,

(छ) 'सूचना' से किसी इलैक्ट्रानिक रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ई—मेल, मत, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, संविदा, रिपोर्ट, कागज—पत्र, नमूने, मॉडल, आंकड़े सम्बन्धी सामग्री और किसी निजी निकाय से सम्बन्धित ऐसी सूचना सहित; जिस तक तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी, लोक प्राधिकारी की पहुंच हो सकती है, किसी रूप में कोई सामग्री, अभिप्रेत है।

(ज) 'अभिलेख' में निम्नलिखित सम्मिलित है:—

(क) कोई दस्तावेज, पाण्डुलिपि और फाईल,

(ख) किसी दस्तावेज की कोई माइक्रोफिल्म, माइक्रोफिको और प्रतिकृति प्रति,

(ग) ऐसी माइक्रोफिल्म में सन्निविष्ट प्रतिरूप या प्रतिरूपों का पुनरुत्पादन (चाहे व्यक्ति के रूप में हो या न हो); और

(घ) किसी कम्प्यूटर द्वारा या किसी अन्य युक्ति द्वारा उत्पादित कोई अन्य सामग्री।

(झ) 'सूचना का अधिकार' से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन पहुंच योग्य सूचना का, जो किसी लोक प्राधिकारी द्वारा या उसके नियंत्रणाधीन धारित है, अधिकार अभिप्रेत है और जिसमें निम्नलिखित का अधिकार सम्मिलित है:—

(एक) कृति दस्तावेजों, अभिलेखों का निरीक्षण;

(दो) दस्तावेजों या अभिलेखों की टिप्पणी, उद्धरण या प्रमाणित प्रतिलिपि लेना;

(तीन) सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना;

(चार) डिस्केट, फ्लापी, टेप, वीडियो कैसेट के रूप में या किसी अन्य इलेक्ट्रोनिक रीति में या प्रिंट आउट के माध्यम से सूचना को, जहां ऐसी सूचना किसी कम्प्यूटर या किसी अन्य युक्ति में भण्डारित है, अभिप्राप्त करना।

(ञ) उन शब्दों और पदों के, जो इस नियमावली में प्रयुक्त हैं, और परिभाषित नहीं हैं, किन्तु सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम में दिए गए हैं।

राज्य सरकार द्वारा स्वतः प्रकटन के लिये सूचना विहित करना:

3. राज्य सरकार समय–समय पर किसी लोक प्राधिकारी अथवा लोक प्राधिकारियों से स्वतः प्रकटन की जाने वाली सूचना और उसका अद्यावधिकरण राज्य सरकार के गजट में अधिसूचना प्रकाशित करके विहित कर सकती है। विहित की गयी सूचना का प्रकाशन लोक प्राधिकारी विहित किये जाने के 60 दिन के अन्दर इलैक्ट्रोनिक प्ररूप में करेगा। लोक प्राधिकारी, इलैक्ट्रोनिक प्ररूप पर स्वतः प्रकटन हेतु विहित सूचना को सम्पूर्ण देश में कम्पयूटर नेटवर्क से अथवा इण्टरनेट के माध्यम से सम्बद्ध करेगा। लोक प्राधिकारी विहित सूचना को राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट रूप में अद्यावधिक करेगा।

आवेदन की भाषा:

4. सूचना की प्राप्ति हेतु आवेदन हिन्दी भाषा देवनागरी लिपि में अथवा अंग्रेजी में प्रस्तुत किया जायेगा।

सूचना प्राप्त करने की प्रकिया:

5.(क) अधिनियम की धारा 6 की उपधारा(1) के अधीन 'सूचना' प्राप्त किये जाने हेतु लोक प्राधिकारी के लोक सूचना अधिकारी अथवा सहायक लोक सूचना अधिकारी को निर्धारित आवेदन शुल्क के साथ अनुरोध पत्र दिया जायेगा।

(ख) बी०पी०एल० श्रेणी के नागरिकों के अतिरिक्त अन्य नागरिकों द्वारा 'सूचना' के लिए ऐसे अनुरोध पत्र पर जिसके साथ निर्धारित आवेदन शुल्क की राशि प्रस्तुत नहीं की गयी है, को सूचना निर्धारित शुल्क जमा करने पर दी जाएगी। लोक सूचना अधिकारी आवेदनकर्ता को नोटिस भेजेगा कि सूचना के अधिकार सम्बन्धी आवेदन पर कार्यवाही केवल आवेदन शुल्क का भुगतान करने पर की जाएगी तथा 30 दिन की समय सीमा आवेदन शुल्क का भुगतान करने पर आरम्भ होगी।

(ग) अनुरोधकर्ता द्वारा अनुरोध पत्र में किसी अन्य लोक प्राधिकारियों की अभिरक्षा या नियंत्रण की सूचना की मांग किये जाने पर लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपने से सम्बन्धित लोक प्राधिकारी की अभिरक्षा या नियंत्रण की सूचना, यदि कोई होती है अनुरोधकर्ता को

उपलब्ध कराई जायेगी तथा अन्य लोक प्राधिकारी से सम्बन्धित सूचना के सम्बन्ध में अनुरोधपत्र ऐसे अन्य लोक प्राधिकारी के लोक सूचना अधिकारी को अन्तरित किया जायेगा;

परन्तु यह कि यदि अन्य लोक प्राधिकारियों की संख्या दो या दो से अधिक होती है तो अनुरोध पत्र अन्तरित नहीं किया जायेगा अपितु अपने से सम्बन्धित लोक प्राधिकारी की अभिरक्षा या नियंत्रण की सूचना उपलब्ध कराने की कार्यवाही करते हुए अनुरोधकर्ता को शेष सूचना के लिए सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारियों से पृथक से आवेदन करने के लिये कहा जायेगा।

(घ) अनुरोधकर्ता द्वारा यदि अनुरोध पत्र में ऐसी सूचना की मांग की जाती है, जिसके सम्बन्ध में यह स्पष्ट नहीं हो पाता है की वह किस लोक प्राधिकारी की अभिरक्षा या नियंत्रण में है जिस कारण उससे सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी को अनुरोध पत्र अन्तरित किया जाना सम्भव नहीं है, तो लोक सूचना अधिकारी अपने से सम्बन्धित लोक प्राधिकारी की अभिरक्षा या नियंत्रण की सूचना, यदि कोई हो, अनुरोधकर्ता को उपलब्ध कराते हुए शेष सूचना के सम्बन्ध में अनुरोधकर्ता को अनुरोध पत्र वापस करते हुए उसे उक्त स्थिति से अवगत करायेगा।

(ङ) 'सूचना' के लिए अनुरोध ऐसी सूचना के लिए किया जा सकेगा, जो अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (च) के अधीन 'सूचना' परिभाषित है और लोक प्राधिकारी की अभिरक्षा अथवा नियंत्रण में हैं। सूचना के लिए अनुरोध पत्र द्वारा अधिनियम में परिभाषित 'सूचना' से इतर सूचना का अनुरोध किये जाने पर लोक सूचना अधिकारी अनुरोधकर्ता को 'सूचना धारित नहीं हैं' से अवगत करायेगा।

(च) अनुरोध पत्र में मांगी गयी 'सूचना' का चिन्हीकरण स्पष्ट रूप से न होने की दशा में अनुरोध पत्र प्राप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर लोक सूचना अधिकारी अनुरोधकर्ता को आवेदित सूचना का सुस्पष्ट चिन्हीकरण पत्र द्वारा अथवा लोक प्राधिकारी की प्रकटन योग्य 'सूचना' का निरीक्षण करके करने हेतु सूचित करेगा। अनुरोधकर्ता द्वारा लिखित रूप में अथवा निरीक्षणोपरान्त 'सूचना' का चिन्हीकरण करके लोक सूचना अधिकारी को अवगत कराने पर 'सूचना' यथा प्रक्रिया निर्धारित अवधि के भीतर दी जायेगी।

(छ) आवेदक द्वारा मांगी गयी 'सूचना' का अनुरोध अस्वीकार करने की दशा में लोक सूचना अधिकारी अनुरोधकर्ता को अनुरोध अस्वीकार के कारण अधिनियम व नियमावली के सुसंगत प्राविधानों का उल्लेख करते हुए लिखेगा और सूचित करेगा। लोक सूचना अधिकारी अनुरोधकर्ता को अनुरोध अस्वीकार करने के विरुद्ध अपील करने की समय अवधि तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी का पदनाम, पता आदि का विवरण सूचित करेगा।

(ज) आवेदक द्वारा मांगी गयी सूचना उसी 'प्ररूप' में उपलब्ध करायी जायेगी, जिसमें उसे मांगा गया है जब तक कि उस सूचना को

उपलब्ध कराने में लोक प्राधिकारी के संसाधनों को अनअनुपाती रूप से परिवर्तित न कर दिए गए हों अथवा अभिलेखों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए हानिकर न हो। लोक सूचना अधिकारी आवेदनकर्ता को सूचना का निरीक्षण कराकर सूचना आवेदनकर्ता को उस 'प्ररूप' में उपलब्ध करायी जायेगी जिस 'प्ररूप' में सूचना उपलब्ध कराना लोक प्राधिकारी के संसाधनों को अनअनुपाती रूप में विचलित न करता हो।

<u>सूचना हेतु शुल्क:</u>

6.(क) अधिनियम की धारा 6 की उपधारा(1) के अधीन सूचना हेतु आवेदन पत्र के साथ लोक प्राधिकारी के लोक सूचना अधिकारी या सहायक लोक सूचना अधिकारी के नाम संदेय रु0 10.00 मात्र का शुल्क उचित रसीद की प्रति, नकद या डिमाण्ड ड्राफ्ट, बैंकर्स चैक, भारतीय पोस्टल ऑर्डर, ट्रेजरी चालान या नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर के माध्यम से संदाय किया जा सकेगा;

(ख) अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (3) के अधीन सूचना की लागत के रूप में अतिरिक्त शुल्क सूचना दिए जाने हेतु लोक प्राधिकारी के लोक सूचना अधिकारी के नाम संदेय निम्नलिखित दरों के अनुरूप शुल्क उचित रसीद के प्रति नकद या डिमाण्ड ड्राफ्ट, बैंकर्स चैक, भारतीय पोस्टल ऑर्डर, ट्रेजरी चालान या नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर के माध्यम से संदाय किया जा सकेगा, अर्थात,

परन्तु यह कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को कोई शुल्क देय नहीं होगा।

(एक) ए–3 या ए–4 आकार के पृष्ठ(छायाप्रति या तैयार सूचना) हेतु रु0 2.00 (दो रुपये मात्र) प्रति पृष्ठ और इससे बड़े आकार के पृष्ठ हेतु वास्तविक लागत,

(दो) अभिलेखों के निरीक्षण हेतु प्रथम घंटा हेतु कोई शुल्क संदेय नहीं होगा, तदुपरान्त प्रत्येक एक घण्टे अथवा उसके भाग हेतु रु0 5.00 मात्र(पांच रुपये मात्र) का शुल्क संदाय किया जाना होगा,

(तीन) मॉडल एवं नमूनों की प्रतियों के लिए वास्तविक लागत का संदाय किया जाना होगा।

(ग) अधिनियम की धारा 7 की उपधारा(5) के अधीन सूचना छपे या इलेक्ट्रानिक रूप में सूचना दिए जाने हेतु लोक प्राधिकारी के लोक सूचना अधिकारी के नाम देय निम्नलिखित दरों के अनुरूप शुल्क, उचित रसीद के प्रति नकद या डिमाण्ड ड्राफ्ट, बैंकर्स चैक, भारतीय पोस्टल ऑर्डर, ट्रेजरी चालान या नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर के माध्यम से संदाय किया जा सकेगा, अर्थात्

(एक) सी०डी०/डी०वी०डी० पर सूचना दिए जाने हेतु रु० 20.00 मात्र (बीस रुपये मात्र) प्रति सी०डी०/डी०वी०डी०; और

(दो) किसी मुद्रित प्रकाशन की दशा में, उसका निर्धारित मूल्य या ऐसे प्रकाशन से उद्धरणों की फोटो के प्रति पृष्ठ के लिए रु० 2.00 मात्र (दो रुपये मात्र)।

(घ) बी०पी०एल० श्रेणी के व्यक्तियों के सूचना अनुरोध पर शुल्क हेतु निम्नलिखित व्यवस्था होगी:–

(एक) यदि आवेदक द्वारा मांगी गयी सूचना उसके (बी०पी०एल० श्रेणी के) स्वयं से या उसके परिवार से सम्बन्धित हो, तो वह सूचना निःशुल्क उपलब्ध करायी जाएगी।

(दो) यदि सूचना बी०पी०एल० श्रेणी के अनुरोधकर्ता या उसके परिवार के सदस्य से भिन्न व्यक्ति से सम्बन्धित हो, और सूचना 50 छाया पृष्ठों (ए'4 साईज के) या तैयार करने में रुपये 100 के व्यय में दी जा सकती है तो वह सूचना निःशुल्क उपलब्ध करायी जाएगी। यदि आवेदित सूचना इस सीमा से अधिक हो तो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले श्रेणी के व्यक्ति को स्वंय के खर्चे पर अभिलेखों के निरीक्षण करने, टिप्पणीयां लेने या छायाप्रतियां प्राप्त करने की अनुमति दी जा सकेगी।

परन्तु यह कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को आवेदनकर्ता द्वारा स्वंय सत्यापित बी०पी०एल० कार्ड की प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करनी होगी।

राज्य लोक सूचना अधिकारी के दायित्वः

7.(क) नियम 5 के खण्ड (ख) व (ग) में उल्लिखित अतिरिक्त शुल्क हेतु अनुरोध कर्ता को यथासंभव अनुरोध पत्र प्राप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर सूचित किया जाएगा।

(ख) अनुरोधकर्ता को तीसरे पक्ष की सूचना अधिनियम की धारा 11 में निर्धारित प्रकिया अन्तर्गत उपलब्ध कराई जायेगी।

(ग) अधिनियम की धारा 8(1) में उल्लिखित सूचनाएं जिन्हें प्रकटन से छूट है, को लोक सूचना अधिकारी अनुरोध किये जाने पर अनुरोधकर्ता को उपलब्ध नहीं करायेगा।

परन्तु लोक प्राधिकारी वृहत्तर लोक हित में अधिनियम की धारा–8(2) के अन्तर्गत प्रकटन से छूट प्राप्त सूचना तक पहुँच की अनुमति दे सकेगा।

(घ) अधिनियम की धारा 8(1)(ञ) निजी सूचनाएँ, जिसका प्रकटन का लोक गतिविधि या लोक हित से सम्बन्ध नहीं है अथवा जिसका प्रकटन किसी व्यक्ति की निजता में अवांछित अतिकमण है, का प्रकटन नहीं किया जायेगा सिवाय तब जब लोक सूचना अधिकारी

अथवा अपीलीय प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि वृहत्तर लोक हित में निजी सूचनाओं का प्रकटन न्यायपूर्ण है।

विभागीय अपील अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील:

8.(क) अधिनियम की धारा 19 के अधीन लोक सूचना अधिकारी के निस्तारण के विरुद्ध अपील किये जाने पर अपीलकर्ता को अपील के साथ अनुरोध पत्र, लोक सूचना अधिकारी द्वारा अनुरोध पत्र के निस्तारण के पत्र, की प्रति संलग्न करनी होगी। अपील पत्र में अपील के आधार स्पष्ट रूप से लिखे जायेंगे।

(ख) तीसरे पक्ष की सूचना प्रकटन के मामले में लोक सूचना अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील में अपील पत्र के साथ लोक सूचना अधिकारी का आदेश तीसरे पक्ष की मांगी गयी सूचना तीसरे पक्ष द्वारा दिया गया कथन संलग्न किया जायेगा। अपील पत्र में अपील का आधार स्पष्ट रूप से अंकित किया जायेगा।

(ग) प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी द्वारा अनुरोधकर्ता द्वारा दाखिल अपील पर आवश्यकतानुसार लोक सूचना अधिकारी से पक्ष प्राप्त किया जाएगा। अपील के सम्यक निस्तारण हेतु आवश्यक होने की दशा में अपीलकर्ता को उपस्थित होने के लिए निर्देश दिये जा सकेंगे।

(घ) प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी द्वारा यथा सम्भव प्रथम अपील का निस्तारण अधिनियम में उल्लिखित अवधि में किया जायेगा। जहां अपील का निस्तारण 30 दिन की निर्धारित अवधि में न हो तब प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी प्रथम अपील का निस्तारण 45 दिन से अनधिक अवधि में कर सकेगा। अपील निस्तारण के लिए समय अवधि बढ़ाने के कारण अभिलिखित किए जायेंगे। अपील के निस्तारण आदेश की प्रति अपीलकर्ता तथा लोक सूचना अधिकारी को निःशुल्क प्रदान की जायेगी।

(ङ) प्रथम अपीलीय अधिकारी इसकी पड़ताल अपील सुनते हुए करेगा कि लोक सूचना अधिकारी ने व्यक्तिगत सूचना प्रकटन करने में अधिनियम की धारा 8(1)(ञ) के प्रावधानों के अनुरूप व्यक्तिगत 'सूचना' का प्रकटन करने से मना किया है। लोक सूचना अधिकारी ने ऐसी व्यक्तिगत सूचना जो लोक क्रिया कलाप व हित से सम्बन्ध रखती है या जिससे व्यक्ति की एकान्तता पर अनावश्यक अतिक्रमण नहीं है अथवा जिसका प्रकटन विस्तृत लोक हित में न्यायोचित है उसे प्रकटन से रोका नहीं है।

(च) प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी अपील पर विचार करते समय यह समाधान करेंगे कि अनुरोधकर्ता द्वारा मांगी गयी 'सूचना'

प्रकटन की जा सकती है अथवा नहीं। प्रकटन की जा सकने वाली 'सूचना' अनुरोधकर्ता को निर्धारित समय के अन्दर निर्गत की गयी है अथवा नहीं। मांगी गयी वह 'सूचना' जिसका लोक सूचना अधिकारी ने प्रकटन करना अस्वीकार किया है, वह 'सूचना' अधिनियम की धारा 8 के प्राविधानों के अन्तर्गत छूट प्राप्त है अथवा नहीं। अधिनियम की धारा 8(2) के अन्तर्गत लोक प्राधिकारी द्वारा आवेदित सूचना का प्रकटन वृहत्तर जनहित में प्रकटन करना उपयुक्त पाया है या नहीं। वह 'सूचना' जिसका प्रकटन धारा 8 के अन्तर्गत छूट प्राप्त नहीं है और अधिनियम की धारा 8 (1)(ञ), धारा 8(2) के प्राविधानों के अनुसार यह समाधान हो रहा है कि वृहत्तर लोक हित में आवेदित सूचना का प्रकटन किया' जाना आवश्यक है तथा अपीलकर्ता तक सूचना निर्गत नहीं की गयी है, उस सूचना को लोक सूचना अधिकारी, अपीलीय अधिकारी के निर्देश पर अनुरोधकर्ता को एक सप्ताह में निर्धारित शुल्क प्राप्त कर उपलब्ध कराएंगे।

(छ) आवेदक द्वारा मांगी गयी 'सूचना' आवेदक को 'सूचना' का चिन्हीकरण स्पष्ट न होने के कारण न दिये जाने की स्थिति प्रकट होने पर प्रथम अपीलीय अधिकारी आवेदक को आवेदित सूचना का स्पष्ट चिन्हीकरण लिखित रूप में करने हेतु अथवा लोक प्राधिकारी के सम्बन्धित अभिलेखों का निर्धारित शुल्क भुगतान करके निरीक्षण करके करने हेतु निर्देशित करेगा। प्रथम अपीलीय अधिकारी आवेदक द्वारा चिन्हित 'सूचना' को निर्धारित शुल्क प्राप्त करके आवेदक को दिये जाने के आदेश देगा।

(ज) प्रथम अपीलीय अधिकारी अपील के निर्णय में उपरिलिखित उपनियमों में अंकित बिन्दुओं की विवेचना अंकित करेगा तथा जो 'सूचना' प्रकटन से छूट प्राप्त नहीं है, उस सूचना का प्रकटन करने के लिये लोक सूचना अधिकारी को निर्देश निर्गत करेगा।

सूचना आयोग में द्वितीय अपील :

9.(क) अधिनियम की धारा 19 के अधीन द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग के समक्ष किये जाने पर अपीलकर्ता को द्वितीय अपील पत्र के साथ अनुरोधकर्ता का अनुरोध पत्र, लोक सूचना अधिकारी के अनुरोध पत्र के निस्तारण का पत्र, प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी के द्वारा अपील के निस्तारण आदेश की प्रति संलग्न की जायेगी। द्वितीय अपील का आधार स्पष्ट रूप से अंकित किया जाना आवश्यक होगा।

(ख) अपील पर निर्णय लेते समय राज्य सूचना आयोगः—

(एक) सम्बन्धित अथवा हितबद्ध व्यक्ति से शपथ पर साक्ष्य अपना शपथ पत्र पर मौखिक अथवा लिखित साक्ष्य प्राप्त कर सकेगा;

(दो) दस्तावेजों, लोक अभिलेखों या उनकी प्रतियों को ध्यानपूर्वक पढ़ेगा या उनका निरीक्षण करेगा;

(तीन) अग्रिम विवरण अथवा तथ्यों की प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से जाँच करेगा; और

(चार) लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी, प्रथम अपीलीय अधिकारी तथा अन्य किसी ऐसे व्यक्ति से जिसके विरुद्ध अपील की गई है या तीसरे पक्ष से शपथपत्रों पर साक्ष्य प्राप्त कर सकेगा।

(पांच) द्वितीय अपील में अनुरोधकर्ता द्वारा मांगी गयी 'सूचना' के निर्धारित समय के अन्दर प्रकटन का मामला ही देखा जायेगा। द्वितीय अपील में राज्य सूचना आयोग उक्त उपबन्ध (तीन) के अनुसार द्वितीय अपील में प्रश्नगत विषय पर ही जांच करेगा। और अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार आदेश पारित करेगा। किसी अन्य प्राधिकारी को प्रश्नगत द्वितीय अपील के निस्तारण के दौरान किसी अन्य विषय पर जांच का निर्देश नहीं देगा।

(छः) द्वितीय अपील में लोक सूचना अधिकारी को द्वितीय अपील पर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जायेगा। आयोग उक्त के बाद अन्तिरिम निर्देश द्वितीय अपील में अन्तर्ग्रस्त विषय से इतर विषय पर कार्यवाही के लिए निर्गत नहीं करेगा। द्वितीय अपील का निस्तारण अन्तिम रूप से यथासम्भव 90 दिन में तथा विलम्बतम 120 दिन में करेगा।

(सात) द्वितीय अपील के आदेश में सूचना आयोग यथा आवश्यकता अधिनियम की धारा 19(8) के अनुरूप सूचना के प्रकटन और पहुँच बनाये जाने के लिए निर्देश दे सकेगा।

(आठ) द्वितीय अपील के निस्तारण में लोक सूचना अधिकारी तथा प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी या किसी अन्य अधिकारी को सुनवाई में उपस्थित होने का निर्देश निर्गत नहीं किया जायेगा। जिन मामलों में आयोग को आवश्यक प्रतीत होता है आयोग कारण अभिलिखित करते हुए लोक सूचना अधिकारी को द्वितीय अपील में उपस्थित होने के निर्देश निर्गत करेगा।

(नौ) आयोग द्वितीय अपील के जिन मामलों में वीडियो कान्फ्रेन्स से द्वितीय अपीलकर्ता, लोक सूचना अधिकारी या अन्य अधिकारी का पक्ष जानना उपयुक्त समझता है और उनकी उपस्थिति अपेक्षित है तो वह ऐसा कर सकेगा। राज्य सरकार की वीडियो कान्फ्रेन्स प्रणाली का आयोग को द्वितीय अपील अथवा शिकायत की सुनवाई के लिए उपयोग करने की सुविधा राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी।

(दस) आयोग द्वारा द्वितीय अपील की सुनवायी के समय यह समाधान होने पर कि लोक सूचना अधिकारी पर अधिनियम की धारा 20 के अन्तर्गत शास्ति आरोपित की जानी आवश्यक है, लोक सूचना अधिकारी को कारण बताओ नोटिस निर्गत कर कारण बताने का अवसर दिया जायेगा। लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपना पक्ष रखने अथवा निर्धारित अवधि व्यतीत होने पर आयोग, लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध अधिनियम की धारा 20 के अनुसार शास्ति आरोपित करेगा। लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध शास्ति आरोपण की कार्यवाही द्वितीय अपील के निस्तारण के आदेश के साथ प्रारम्भ जायेगी। शास्ति आरोपण की कार्यवाही प्रारम्भ करने के लिए द्वितीय अपील का निस्तारण लम्बित नहीं रखा जायेगा।

(ग्यारह) अपील की जांच करते समय आयोग अधिनियम के प्रावधानों का निरन्तर उल्लंघन करने वाले लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने की संस्तुति कर सकेगा। ऐसी संस्तुति निर्गत करने से पहले आयोग लोक सूचना अधिकारी को कारण बताओं नोटिस निर्गत करेगा। तत्पश्चात कारण बताओ नोटिस के विरुद्ध लोक सूचना अधिकारी के समुचित रूप से सुनने के बाद आयोग ऐसे लोक प्राधिकारी को समुचित संस्तुतियां निर्गत करेगा जिसने ऐसे लोक सूचना अधिकारी को नियुक्त किया।

(ग) **(एक)** तीसरे पक्ष की सूचना प्रकटन के मामले में लोक सूचना अधिकारी के आदेश के विरुद्ध आयोग में अपील में अपील पत्र के साथ लोक सूचना अधिकारी का आदेश तीसरे पक्ष की मांगी गयी सूचना, तीसरे पक्ष द्वारा दिया गया कथन संलग्न किया जायेगा। अपील पत्र में अपील का आधार स्पष्ट रूप से अंकित किया जायेगा।

(दो) उक्त उपखण्ड(एक) के अनुसार प्रस्तुत अपील में तीसरे पक्ष को आयोग अपना पक्ष रखने का अवसर देगा।

(तीन) अपील के निस्तारण के लिये लोक सूचना अधिकारी तथा तीसरे पक्ष को आयोग द्वारा अपील में अपना पक्ष लिखित रूप में प्रस्तुत करने का अवसर दिया जायेगा।

(घ) आयोग द्वारा सम्बन्धित व्यक्ति को प्रथम नोटिस पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से भेजी जायेगी, उसके बाद की नोटिस सम्बन्धित व्यक्ति को निम्नांकित रूप से प्राप्त करायी जायेगी:–

(एक) स्वयं पक्षकार के माध्यम से;
(दो) तामीलकर्ता के माध्यम से दस्ती;
(तीन) साधारण डाक द्वारा; या
(चार) कार्यालयाध्यक्ष या विभागाध्यक्ष के माध्यम से।

(पाँच) इण्टरनेट के माध्यम से ई मेल द्वारा अथवा एस0एम0एस0 द्वारा।

(छ:) पावती के साथ पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट से।

किन्तु अग्रतर प्रतिबंध यह है कि खण्ड (छ:) के अनुसार नोटिस प्राप्ति प्रथम पाँच तरीकों से नोटिस प्राप्ति न होने की दशा में ही किया जायेगा।

(ड.) अपीलार्थी या पक्षकारों को सुनवाई के लिए आयोग निम्नलिखित प्रकिया अपनायेगा:–

(एक) अपीलार्थी या प्रतिपक्ष, जैसी स्थिति हो, आवेदन की प्रक्रिया में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु किसी भी व्यक्ति का सहयोग ले सकेगा।

(दो) आयोग के आदेश खुले में सुनाये जाऐंगे और आयोग द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी या सचिव द्वारा लिखित रूप में अभिप्रमाणित किए जाएंगे।

(तीन) आयोग का आदेश आदेश होने के बाद आयोग द्वारा अपनी वेबसाइट पर यथाशीघ्र प्रकाशित किये जायेंगे।

धारा 18 के अन्तर्गत आयोग द्वारा कार्यवाही की प्रक्रिया:

10.(क) आयोग अधिनियम की धारा 18(1) के खण्ड (क) से (च) में उल्लिखित कारणों से की गयी शिकायत की जांच करेगा।

(ख) शिकायत में शिकायतकर्ता स्पष्ट अंकित करेगा कि धारा 18 की उपधारा(1) के खण्ड (क) से (च) में से किस आधार या आधारों पर शिकायत की गयी है।

(ग) शिकायत की प्रति लोक सूचना अधिकारी अथवा लोक प्राधिकारी के प्रमुख, जैसी स्थिति हो, को भेजी जायेगी और शिकायत पर लिखित रूप से पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया जायेगा।

(घ) आयोग आवश्यकतानुसार ऐसे सभी व्यक्तियों का साक्ष्य ले सकेगा, जो शिकायत की जांच के लिए आवश्यक हों। ऐसे अभिलेख मंगा सकता है और निरीक्षण कर सकता है, जो शिकायत की जांच के लिए आवश्यक हो ।

(ड.) अधिनियम की धारा 20 के अनुसार आयोग शिकायत की जांच कर सकेगा और अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करने वाले लोक सूचना अधिकारी को दण्डित करने के लिए शास्ति आरोपित कर सकेगा। आयोग शास्ति आरोपित करने से पूर्व लोक सूचना अधिकारी को कारण बताओ नोटिस निर्गत करेगा। तत्पश्चात कारण बताओ नोटिस के विरुद्ध लोक सूचना अधिकारी की समुचित रूप से सुनवाई कर समुचित आदेश पारित करेगा।

(च) अपील की जांच करते समय आयोग अधिनियम के प्रावधानों का निरन्तर उल्लंघन करने वाले लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध

अनुशासनिक कार्यवाही करने की संस्तुति कर सकेगा। ऐसी संस्तुति निर्गत करने से पहले आयोग लोक सूचना अधिकारी को कारण बताओं नोटिस निर्गत करेगा। तत्पश्चात कारण बताओ नोटिस के विरुद्ध लोक सूचना अधिकारी के समुचित रूप से सुनने के बाद आयोग ऐसे लोक प्राधिकारी को समुचित संस्तुतियां निर्गत करेगा जिसने ऐसे लोक सूचना अधिकारी को नियुक्त किया।

आयोग द्वारा अधिरोपित शास्ति तथा क्षतिपूर्ति की वसूली:

11. (क) लोक सूचना अधिकारी पर अधिरोपित शास्ति अथवा लोक प्राधिकारी पर अधिरोपित क्षतिपूर्ति द्वितीय अपील अथवा शिकायत, यथास्थिति, में पारित आयोग के आदेश के तीन माह की अवधि समाप्त होने पर वसूल की जा सकेगी।

(ख) आयोग आरोपित शास्ति वसूलने के लिए उसे 3 से अनधिक किश्तो में वसूलने के लिए आदेश दे सकेगा। आयोग लोक सूचना अधिकारी पर शास्ति अधिरोपित करने पर शास्ति अधिरोपित करने वाले आदेश की एक प्रति शास्ति वसूलने के प्रयोजनार्थ लोक सूचना अधिकारी के लोक प्राधिकारी को उपलब्ध करायेगा, जो आदेश प्राप्त होने पर उसकी पावती आयोग को इस आशय से प्रेषित करेंगे कि वसूली के प्रयोजनार्थ शास्ति को नोट कर लिया गया है।

(ग) अपीलकर्ता अथवा शिकायतकर्ता को क्षतिपूर्ति के अधिनिर्णय हेतु लोक प्राधिकारी के विरुद्ध-आदेश पारित करने पर आयोग ऐसे आदेश की प्रति आयोग द्वारा स्वयं लोक प्राधिकारी को वसूली के लिए उपलब्ध कराएगा जो आदेश की पावती यह सूचित करते हुए कि अपीलकर्ता अथवा शिकायतकर्ता को क्षतिपूर्ति की राशि के भुगतान तथा ऐसे सम्बन्धित अधिकारियों से, जिन्हें लोक प्राधिकारी उचित समझे, उक्त राशि वसूल करने लिए नोट कर ली गई है, आयोग की पावती भेजेगा।

(घ) खण्ड (ख) व (ग) के अन्तर्गत आयोग से आदेश प्राप्त होने व लोक प्राधिकारी द्वारा उसकी पावती आयोग को प्रेषित करने पर खण्ड (क) के अधीन शास्ति अथवा क्षतिपूर्ति वसूलने का उत्तरदायित्व लोक प्राधिकारी का होगा।

(ङ.) शास्ति अथवा क्षतिपूर्ति वसूलने के प्रयोजनार्थ आयोग द्वारा शास्ति अथवा क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के आदेश की प्रति सम्बन्धित लोक प्राधिकारी को उपलब्ध कराना ही पर्याप्त होगा। लोक प्राधिकारी प्रमुख शास्ति की राशि अथवा क्षतिपूर्ति शास्ति अथवा क्षतिपूर्ति अभिरोपण के तीन माह बाद परन्तु छः माह से

अनधिक अवधि में वसूलेगा। उक्त राशि वसूलने पर लोक प्राधिकारी प्रमुख आयोग को राशि वसूल होने का विवरण सूचित करेगा। आयोग द्वारा उक्त सूचना सम्बन्धित द्वितीय अपील की पत्रावली में रखी जायेगी।

(च) लोक प्राधिकारी द्वारा शास्ति अथवा क्षतिपूर्ति को वसूल किये जाने, उसे राजकोष में जमा करने अथवा आवेदनकर्ता को भुगतान करने की कार्यवाही, यथास्थिति, ऐसी रीति, जिसे राज्य सरकार समय–समय पर आदेश जारी कर विहित करे, के अनुसार की जायेगी।

कठिनाईयों को दूर करने की शक्तिः

12. यदि इन नियमों के प्रभावी कियान्वयन में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार आदेश जारी कर सकेगी, जो ऐसी कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक और समीचीन हो।

निरसन और व्यावृत्तियां:–

13.(क) उत्तराखण्ड सूचना का अधिकार नियमावली, 2012 को एतदद्वारा निरसित किया जाता है।

(ख) खण्ड (क) के द्वारा उत्तराखण्ड सूचना का अधिकार नियमावली, 2012 निरसित किये जाने पर भी उक्त नियमावली के अन्तर्गत की गयी कोई भी कार्यवाही, जारी किया गया कोई आलेख्य, जहां तक वह इस नियमावली के उपबन्धों से असंगत नहीं है, इस नियमावली के अधीन की गई, जारी की गई समझी जायेगी।

आज्ञा से,

सुरेन्द्र सिंह रावत,
सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 2132/XXXI (13)G-65(सू0आ0)/2012, dated June 28, 2013 for general information :

No. 2132/XXXI (13)G-65(सू0आ0)/2012
Dated Dehradun, June 28, 2013

NOTIFICATION

Miscellaneous

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and sub section (2) of section 27 of the Right to Information Act, 2005 (Central Act no.22 of 2005), the Governor is pleased to make the following rules, namely:-

The Uttarakhand Right to Information Rules, 2013

Short title and Commencement

1. (i) These Rules may be called the Uttarakhand Right to Information Rules, 2013.
   (ii) These Rules shall come into force from the date of their publication in the official gazette.

Definitions:

2. In these Rules, unless there is anything contrary to the subject or context:-

a) "Act" means the Right to Information Act, 2005,

b) "Section" means the section of Right to Information Act, 2005,

c) "Commission" means the Uttarakhand State Information Commission,

d) "State Government" means the State Government of Uttarakhand,

e) "B.P.L." means the person living below poverty line having an annual income of less than Rs.12000/- (Rs. Twelve Thousand)

f) "First Departmental Appeal Officer" means the officer designated under section 19(1) for disposal of first appeal filed under sub section (1) of section 19 of Right to Information Act,

g) "Information" means the records held in electronic form, document, memorandum, e-mail, opinion, advice, press note, circular, order, log book, contract, papers, sample, model, material related to data, including any information in any form, any material related to any private body which can be reached by any Public Authority under any other law in force for the time being.

(h) A 'Record' includes the following:-

(a) Any document, manuscript or file,

(b) Any microfilm, microfiche or facsimile copy of a document,

(c) Any reproduction of image or images embodied in such microfilm (Whether enlarged or not)

(d) Any other material produced with the help of a computer or through any other device.

i) "Right to Information" means the right to information accessible under the Right to Information act, 2005 which is held by or is under the control of any Public Authority and includes the right to-

(i) inspect any work, document, record;

(ii) take notes, extracts or certified copies of documents or records;

(iii) take certified samples of materials;

(iv) obtain information in the form of diskettes, floppies, tapes, video cassettes or in any other electronic mode or through printouts where such information is stored in a computer or in any other device.

j) Words and expressions used in these rules but not defined here shall have the same meaning as defined in the Right to Information Act, 2005.

<u>Prescribing information for self disclosure by the State Government</u>

3. The State Government may, from time to time, prescribe the information to be disclosed suo moto by any public authority or public authorities and its updation by publishing it in official gazette of the State Government. The prescribed information shall be published by the Public Authority in electronic form within 60 days from the date of prescribing the information. The Public Authority shall interlink the prescribed information for suo moto disclosure in electronic form throughout the country through computer network or internet. The Public Authority shall update the prescribed information in the form as specified by the State Government.

Language of Application

4. Application for obtaining information shall be made in Hindi Devanagari script or in English.

Procedure for obtaining information

5. (a) For obtaining 'information' under sub section (1) of section (6) of the Act, an application along with prescribed application fee shall be submitted to the Public Information Officer or Assistant Public Information Officer of the Public Authority.

(b) Application for 'information' from citizens other than B.P.L. category, not accompanying the amount of prescribed fee after depositing the prescribed fees the information shall be provided. The PIO shall send a notice to the applicant that the RTI application will be processed only on payment of application fee and that the 30-day time limit will commence upon payment of application fee.

(c) On applicant's request for information in the application which is under custody or control of other Public Authorities, the Public Information Officer shall provide information, if any, relating to his Public Authority or under the custody or control of his Public Authority to the applicant and for information concerning the other Public Authority the application shall be transferred to the Public Information Officer of such other Public Authority.

Provided that in case the number of other Public Authorities is two or more, the application shall not be transferred, instead, after providing the information under the custody or control of his Public Authority the applicant shall be asked to apply separately to the concerned Public Information officer for remaining information.

(d) In case the applicant seeks information for which it is not clear under which Public Authority's custody or control the information is available and as such it is not possible to transfer the application to the concerned Public Authority, the Public Information Officer, after providing the information, if any, which is under the custody or control of his Public Authority shall return the application to the applicant for remaining information and inform him of the situation.

(e) Request for 'information' may be made for such 'information' which is defined as 'information' under clause (f) of section (2) of the Act and is under the custody and control of the Public Authority. On requests for information other than defined in the Act, the Public Information Officer shall inform the applicant that the 'information is not held'.

(f) In case the 'information' requested in application not being clearly identified within a week after receiving the application, the Public Information officer shall inform the applicant for clearly identifying the required information by letter or by inspecting the disclosable 'information' of the Public Authority. After the applicant has inspected and identified the information and on informing the Public Information Officer, the 'information' shall be provided to the applicant as per procedure within the prescribed period.

(g) In case of non acceptance of request for providing information the Public Information Officer shall inform the applicant the reason for non acceptance of his request mentioning the relevant provisions of the Act and the Rules. The Public Information Officer shall inform the applicant the time limit for filing appeal against non admittance of the request and also details of the designation and address of first appeal officer.

(h) The information required by the applicant shall be provided in the same form in which it has been asked unless the resources of Public Authority are disproportionately diverted in providing the information or is detrimental to the safety or preservation of records of the required information. After getting inspected the information by the applicant the information shall be provided to the applicant by the Public Information Officer in the form in which providing information the resources of the Public Authority are not disproportionately deviated.

<u>Fees for information:</u>

6 (a) For information under sub- section (1) of section 6 of the Act, payment of Rs.10.00 as application fee along with application may be made under receipt in cash or through demand draft, banker's cheque, Indian postal order, treasury challan, non judicial stamp paper in favour of Public Information Officer or Assistant Public Information Officer of Public Authority;

(b) For additional fee as cost of information under sub-section (3) of section 7 of the Act, the payment may be made under receipt in cash or through demand draft, banker's cheque, Indian Postal Order, Treasury challan, non judicial stamp paper in favour of Public Information officer of Public Authority at following rates; namely-

Provided that no fees shall be payable by the persons living below poverty line.

(i) Rs.2.00 (Rs. Two only) for A-3 or A-4 size page (Photo copy or ready information) and actual cost for a size bigger than this.

(ii) (ii) For first hour of inspection of records no charges shall be payable. Thereafter Rs. 5.00 (Rs. Five only) for an hour or part thereof shall be payable as fee.

(iii) Fees for copies of models and samples is to be paid as per actual cost.

(c) For providing information in printed or electronic form under sub-section (5) of section 7 of the Act, fees shall be payable under receipt in cash or through demand draft, banker's cheque, Indian Postal Order, Treasury challan or non judicial stamp paper in favour of Public Information Officer of the Public Authority at the following rates, namely:-

(i) Rs. 20.00 (Rs. Twenty only) per CD/DVD for information on CD/DVD, and

(ii) In case of a printed publication, its prescribed price or Rs. 2.00 (Rs. Two only) per page for photocopy of extracts of such publication.

(d) For request of information from persons belonging to B.P.L. category the provision of fees shall be as under:-

(i) In case the required information concerns persons of B.P.L. category or his own family the information shall be provided free of cost.

(ii) In case the required information concerns a person other than B.P.L category person or member of his family and the information can be provided in 50 photocopy pages (A-4 size) or not costing more than Rs. 100/- (Rs. One hundred only), the

information so required shall be provided free of cost. In case the requested information exceeds this limit, the BPL category person may be permitted to inspect the records and take notes or obtain photocopies at his own expense.

Provided that persons living below poverty line shall have to enclose, along with the application, a copy of B.P.L card attested by the applicant himself.

Obligations of State Public Information Officer:

7. (a) The applicant, as far as possible, shall be informed about the additional fees mentioned in clause (b) and (c) of rules (5) within a week from the date of receipt of application.

(b) Third party information shall be provided to the applicant as per the procedure prescribed in section 11 of the Act.

(c) The information mentioned under section 8(1) of the Act, which is exempted from disclosure, shall not be provided on request of the applicant by the Public Information Officer.

Provided that in the larger public interest the Public Authority may allow access to the information exempted from disclosure under section 8(2) of the Act.

(d) Personal information under section 8(1) (j) of the Act not related to public activities or public interest or the disclosure of which amounts to undesirable invasion of privacy of any person, shall not be disclosed, except when the Public Information Officer or the Appeal Officer is satisfied that in the larger public interest the disclosure of such information is justified.

First appeal before the Departmental Appeal Officer

8. (a) While preferring an appeal against Public Information Officer's disposal order under section 19 of the Act, the applicant shall have to enclose a copy of request letter and the letter of disposal of request letter by Public Information Officer. The grounds of appeal shall be clearly mentioned in the Appeal.

(b) In case of disclosure of third party information, order of Public Information Officer, information required from the third party and the

statement made by the third party shall be enclosed with the appeal preferred against the order of the Public Information Officer. The grounds of Appeal shall be clearly mentioned in the Appeal.

(c) The views of the Public Information Officer, if required, shall be taken by the First Appeal Officer on the Appeal filed by the applicant. The appellant may be directed to present himself, if so required, for the proper disposal of Appeal.

(d) The First Appeal Officer shall dispose off the first Appeal, as far as possible, within the period mentioned in the Act. Where the Appeal is not dispose off within the prescribed period of thirty days, the First Appeal Officer may dispose off the First Appeal within a period not more than 45 days. The reasons for extending the time limit shall be recorded. A copy of the order of disposal of Appeal shall be provided to the appellant and to the Public Information Officer free of charge.

(e) The First Appeal Officer, while hearing the Appeal, shall inquire whether the Public Information Officer has refused the disclosure of personal information as per provisions of section 8(1)(j) of the Act. The Public Information Officer has not refused disclosure such personal information which is related to public activities and interest or which does not unnecessarily violate the privacy of the person or the disclosure of which is justified in the larger public interest.

(f) While considering the appeal the First Appeal Officer shall satisfy himself whether 'infomation' sought by the applicant can be disclosed or not, the disclosable information has been provided to the applicant within prescribed time or not, the information, the disclosure of which has been refused by the Public Information Officer is exempted under section 8 of the Act or not, whether the disclosure of the information requested for is found proper in the larger public interest, by the Public Authority under Section 8(2) of the Act. The 'information' the disclosure of which is not exempted under Section 8 and satisfaction has been made that under the provisions of Section 8(1)(j) and Section 8(2) of the Act that in larger public interest the disclosure of requested information is necessary and the 'Information' has not been released to the appellant, the Public Information Officer on the direction of the Appeal Officer shall make available the said information to the applicant within a week after taking the prescribed fees.

(g) On disclosure of the fact that the information sought by the applicant was not provided to the applicant for not being clearly identified the first Appeal Officer shall direct the applicant to clearly identify the required information in writing or after inspecting the concerned records of the Public Authority after paying the prescribed fee. The First Public Authority shall order to provide the information identified by the applicant after receiving the prescribed fees from the applicant.

(h) The first Appeal Officer shall record his comments on the points indicated in the above mentioned sub-rules in the decision on the Appeal and shall direct the Public Information Officer to disclose the information which is not exempted from the disclosure.

Second Appeal in Information Commission

9. (a) While preferring second appeal under section 19 of the Act before State Information Commission the appellant shall enclose copies of applicant's request letter, letter of disposal of request letter of Public Information Officer, order of disposal by First Appeal Officer along with applicant's second appeal. It is necessary to mention clearly the grounds of second appeal.

(b) On filing second appeal by the appellant the Commission shall adopt the following procedure:

(i) In the second appeal, the concerned Public Information Officer and Departmental Appeal Officer as, required, shall be made respondents. Any other officer/authority shall not be made respondent in the second appeal.

(ii) On the grounds mentioned by the appellant in his second appeal the Public Information Officer and first Appeal Officer shall be given opportunity to submit their replies in writing.

(iii) In Second Appeal the Commission shall inquire whether the 'information' requested by the applicant has been provided to him as per provisions of the Act or not. The Commission in the Second Appeal shall also inquire whether the First Appeal Officer, as per provisions of the Act, directed the Public Information Officer to release information to the applicant or not, the Public Information Officer released the 'information'

within the prescribed time limit or not, whether any harm was caused to the applicant due to non disclosure of disclosable information, if so, what is the evaluation of the harm caused to the appellant. After making necessary inquiry on the above mentioned points, the Commission will pass orders on the Second Appeal.

(iv) The State Information Commission, while deciding an appeal may: --

(A) receive oral or written evidence on oath or on affidavit from concerned or interested persons;
(B) peruse or inspect documents, public records or copies thereof;
(C) inquire through authorized officer further details or facts; and
(D) receive evidence on affidavits from the Public Information Officer, Assistant Public Information Officer, First Appellate Authority and any such other person against whom the appeal lies or the third party.

(v) In the Second Appeal only the matter of disclosure of requested information within the prescribed time shall be considered. In the Second Appeal, as per clause (iii) above the State Information Commission shall inquire into the subject, in question, of the Second Appeal. No other Authority shall be directed to inquire into any other issue during the disposal of the Second Appeal, in question.

(vi) In the Second Appeal the Public Information Officer shall be given an opportunity to submit his case on the Second Appeal. No interim order shall be passed by the Commission thereafter for taking action on any subject other than included in the Second Appeal. The Second Appeal shall be disposed off, as far as possible, within 90 days and latest within 120 days.

(vii) In the order of Second Appeal the Information Commission may, if required, direct with regard to disclosure of information or access to information as provided in section 19 (8) of the Act.

(viii)While disposing off the Second Appeal the Public Information Officer and First Departmental Appeal Officer or any other Officer shall not be directed to be present during the

hearing. In cases wherein the Commission feels necessary it shall direct the Public Information Officer to be present during the Second Appeal, the reasons of which shall be recorded in writing.

(ix) In the cases of Second Appeal in which the Commission considers it proper to know through video conference, the case of Public Information Officer or other Officer and their presence is required, it may do so. The facility of video conferencing of the State Government shall be provided to the Commission by the State Government for hearing Second Appeal or complaint.

(x) On being satisfied during Second Appeal that it is necessary to impose penalty upon Public Information Officer under section 20 of the Act, the Public Information Officer after serving a show cause notice to him shall be given an opportunity to explain the reasons. After the Public Information Officer has submitted his case or on the expiry of prescribed limit, the Commission shall impose penalty against the Public Information Officer as per section 20 of the Act. The action of imposing penalty against the Public Information Officer shall be initiated along with the disposal order of the Second Appeal. The disposal of Second Appeal shall not be kept pending for initiating the process of imposing penalty.

(xi) While inquiring into an appeal the Commission may recommend disciplinary action against a Public Information Officer who persistently violates the provisions of the Act. Prior to issuing such recommendation, the Commission shall issue show cause notice to the Public Information Officer. Thereafter properly hearing the Public Information Officer against the show cause notice, the Commission shall issue appropriate recommendations to the public authority that appointed such Public Information Officer.

(c) (i) While preferring appeal in the Commission against the order of Public Information Officer in the matter of disclosure of information regarding third party, the order of Public Information Officer, information sought from the third party and

statement submitted by the third party shall be enclosed along with the appeal. The grounds of appeal shall clearly be stated in the appeal.

(ii) The Commission shall give opportunity to the third party to present its case in the appeal proffered as per above sub-clause (one).

(iii) For disposal of appeal the Public Information Officer and the third party shall be given opportunity to present their case in writing.

(d) The Commission shall send first notice to the concerned person by registered post/speed post thereafter subsequent notice to concerned person shall be served in the following way:-

(i) through the party itself;

(ii) through the server by hand;

(iii) by ordinary post, or

(iv) through Head of Office or Head of the Department.

(v) by E-mail through internet or by SMS.

(vi) by registered post with acknowledgement due or speed post.

Provided further that the delivery may be made by fifth mode only in case it is not possible by other five means as per clause (vi).

(e) Following procedure shall be adopted by the Commission for hearing the appellant or the parties:-

(i) The appellant or the respondent, as the case may be, may take assistance of any person for the purpose of presenting his case in the process of Appeal.

(ii) The orders of the Commission shall be delivered in open and shall be authenticated in writing by the officer or secretary authorized in this behalf.

(iii) After the order of the Commission is passed it will be uploaded by the Commission on its website as early as possible.

Procedure for action by the Commission under Section (18) of the Act

10. (a) The Commission shall enquire into the complaint filed for reasons mentioned in clause (a) to (f) of section 18 (1) of the Act.

(b) The complainant shall clearly indicate in his complaint the ground or grounds under which clause (a) to (f) of sub section (1) of section (18), the complaint has been lodged.

(c) The copy of complaint shall be sent to the Public Information Officer or Principal Public Authority, as the case may be, and they will be given an opportunity to present their case in writing, on the complaint.

(d) The Commission may, as may be required, take evidence of all such persons whom he considers necessary for the inquiry of the complaint and call and inspect such records which are necessary for enquiring into the complaint.

(e) The Commission may, inquire into the complaint and impose penalty to punish the Public Information Officer who contravenes the provisions of the Act, as per Section 20 of the Act. Prior to imposing penalty, the Commission shall issue show cause notice to the Public Information Officer. Thereafter after properly hearing the Public Information Officer against the show cause notice the Commission shall pass appropriate orders.

(f) While inquiring into a complaint the Commission may recommend disciplinary action against a Public Information Officer who persistently violates the provisions of the Act. Prior to issuing such recommendation, the Commission shall issue show cause notice to the Public Information Officer. Thereafter properly hearing the Public Information Officer against the show cause notice, the Commission shall issue appropriate recommendations to the public authority that appointed such Public Information Officer.

Recovery of Compensation and Penalty imposed by the Commission:

11. (a) The penalty imposed on Public Information Officer or compensation imposed on Public Authority may be recovered on

Procedure for action by the Commission under Section (18) of the Act

10. (a) The Commission shall enquire into the complaint filed for reasons mentioned in clause (a) to (f) of section 18 (1) of the Act.

(b) The complainant shall clearly indicate in his complaint the ground or grounds under which clause (a) to (f) of sub section (1) of section (18), the complaint has been lodged.

(c) The copy of complaint shall be sent to the Public Information Officer or Principal Public Authority, as the case may be, and they will be given an opportunity to present their case in writing, on the complaint.

(d) The Commission may, as may be required, take evidence of all such persons whom he considers necessary for the inquiry of the complaint and call and inspect such records which are necessary for enquiring into the complaint.

(e) The Commission may, inquire into the complaint and impose penalty to punish the Public Information Officer who contravenes the provisions of the Act, as per Section 20 of the Act. Prior to imposing penalty, the Commission shall issue show cause notice to the Public Information Officer. Thereafter after properly hearing the Public Information Officer against the show cause notice the Commission shall pass appropriate orders.

(f) While inquiring into a complaint the Commission may recommend disciplinary action against a Public Information Officer who persistently violates the provisions of the Act. Prior to issuing such recommendation, the Commission shall issue show cause notice to the Public Information Officer. Thereafter properly hearing the Public Information Officer against the show cause notice, the Commission shall issue appropriate recommendations to the public authority that appointed such Public Information Officer.

Recovery of Compensation and Penalty imposed by the Commission:

11. (a) The penalty imposed on Public Information Officer or compensation imposed on Public Authority may be recovered on

Power to remove difficulties:

12. If any difficulty arises in effective implementation of these rules the State Government may pass such orders as may be necessary and expedient to remove such difficulties.

Repeal and Savings

13. (a) The Uttarakhand Right to Information Rules, 2012 are hereby repealed.

(b) Notwithstanding the Uttarakhand Right to Information Rules, 2012 being repealed, any act done or document issued under the said rules, unless not inconsistent with these rules, shall be deemed to be done on issued under these rules.

By Order,

SURENDRA SINGH RAWAT,
Secretary.

पी०एस०यू० (आर०ई०) 14 सा० प्रशा०/444–2013–100+1500 (कम्प्यूटर/रीजियो)।